Email: jesrohtak1914@gmail.com

Office of the

JAT EDUCATION SOCIETY (REGD.)

Rohtak-124001 (Haryana)

Established in 1912

President	Vice President	Gen. Secretary	Treasurer
Gulab Singh (Dimana)	Dharamraj	Navdeep	Sudhir
+91 9896230099, +91 8059509004	+91 9991199441	+91 9215558008	+91 8053063000

Ref. No JES/G-JCR/097 Dated 28/10/2026

To

The Dean
College Development Council
M. D. University
Rohtak – 124001

Reference: Memo No. CB-VII/AIJHM/2026/8776 dated 21.10.2026

Subject: Submission of copies of advertisements published in *Dainik Bhaskar*, *Dainik Jagran*, and *The Tribune* on 16.09.2026

Respected Sir,

In continuation of our emails dated 22-09-2026 to Director UCC and dated 09-10-2026 to the Dean Colleges Development Council, and with reference to the letter cited above, we hereby submit the compliance of your directions as follows:

1. Copies of the advertisements as displayed on the College notice board and website, duly attested and clearly visible, are enclosed herewith as ***Annexures 1–3***.
2. A copy of the email sent to the Director, University Computer Centre (UCC), requesting the display of the said advertisements on the University website, is enclosed herewith as ***Annexure 4***.

The above documents are submitted for your kind perusal and information.

Thank you.
Yours faithfully,

President
Governing Body
AIJHM College, Rohtak

President
Governing Body
All India Jat H.M. College
Rohtak

Enclosures:

1. *Copies of advertisements displayed on the College notice board and website (Annexures 1–3) of 6pages*
2. *Copy of the email sent to the Director, UCC (Annexure 4) of 9 pages*

Total: 15 pages

गए।
हरियाणा राज्य कृषि
स्टेट वेयरहाउसिंग
मौजूद रहे। मंत्री ने
से लेकर तुलाई और
में भुगतान तक पूरी
नी चाहिए। धान की
पोर्टल पर पंजीकृत
ार पर होगी। किसानों
र गेट पास जारी किए
ए यूरिया-डीएपी का
बीजों की उपलब्धता
दिए गए।

पहचान के लिए हरियाणा सरकार पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाने जा रही है। पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में कुल 775 कैमरे लगाए जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 41 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि एएनपीआर कैमरों के जरिए पेट्रोल पंपों पर पहुंचने वाले वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान की जाएगी। इससे जीवन-अवधि पूरी कर चुके वाहनों को चिह्नित करने और पर्यावरणीय मानकों 116 कैमरे स्थापित होंगे। प्रदेश में कुल करीब 2,780 एएनपीआर कैमरों की आवश्यकता है। प्रथम चरण में एनसीआर के इन चार जिलों को शामिल किया गया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के अनुसार कैमरों की स्थापना 30 सितंबर 2026 तक पूरी करनी है। इसके बाद 1 अक्टूबर से हरियाणा में पंजीकृत जीवन-अवधि पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन की आपूर्ति नहीं की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे पुराने वाहनों की पहचान और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

करवाकर स्वरोजगार और कारोबार स्थापित करने के लिए सक्षम बनाना है।

आयुष्मान सेवाएं रोकने का फैसला वापस लिया

चंडीगढ़ | प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों के भुगतान में देरी और अन्य दिक्कतों को लेकर आईएमए ने 16 सितंबर से आयुष्मान योजनाएं अनिश्चित काल के लिए रोकने का निर्णय लिया था। अब आईएमए ने इसे वापस ले लिया है।

All India Jat Heroes' Memorial (AIJHM) College Rohtak

JES/26/Advert/590 dated 16-09-2026

[Haryana Govt. Aided, Affiliated to M. D. University, Rohtak and Run & Managed by Jat Education Society (Regd.) Rohtak]

Website: https://jatcollegerohtak.ac.in

Email: aijhmcollegerohtak@gmail.com | Phone no: +91-9992000182

Advertisement for the Post of PRINCIPAL

For Online portal and more details visit college website.

Portal Opening Date: 16.09.2026

Portal Closing Date & Time: 07.10.2026 (till 5:00 PM IST)

Online applications are invited from eligible candidates for appointment to the vacant post of Principal (General) at AIJHM College, Rohtak, on a regular basis against a Grant-in-Aid post sanctioned by the Government of Haryana, in the Pay Matrix at Academic Level 14 (₹1,44,200–₹2,18,200) under the 7thCPC.The eligibility conditions, age relaxation, reservation, qualifications, pay scale, and selection criteria shall be as per the latest applicable norms and guidelines issued by the UGC, M.D. University, Rohtak, the State Government, and the Director General Higher Education, Haryana, Panchkula, with reference to the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Rules, 2006, and the notifications dated 11.11.2022, 12.12.2022, and 18.04.2023.

Eligibility:

The applicant shall possess the following qualifications and experience:

(i) Ph.D. degree.

(ii) Professor/ Associate Professor with a total service/ experience of at least 15 years of teaching/research in Universities, Colleges, and other institutions of higher education.

(iii) A minimum of 10 research publications in peer-reviewed or UGC-listed journals.

(iv) A minimum Research Score of 110 as per Appendix II, Table 2

Submission of Application:

Applications shall be submitted only through the online application portal, along with a non-refundable application fee of ₹1,000/- for candidates belonging to the General Category and ₹250/- for SC/BC candidates of Haryana. No application shall be entertained if submitted solely through e-mail, post, courier, or by hand. After successful submission of the online application, the hard copy of the complete downloaded PDF application form, along with all supporting documents, must be submitted separately to each of the following three offices and must reach the respective office on or before 5:00 PM IST on 7 October 2026: **(i) The Director General, Higher Education, Siksha Sadan, Sector-5, Panchkula, Haryana; (ii) The Dean, College Development Council, M. D. University, Rohtak; and (iii) The Office of the President, Governing Body, AIJHM College, Rohtak.**

No Objection Certificate (NOC) from the present employer must be attached. Applications found incomplete and/or received after last date will not be considered.

Gulab Singh, President,
Governing Body AIJHM College Rohtak



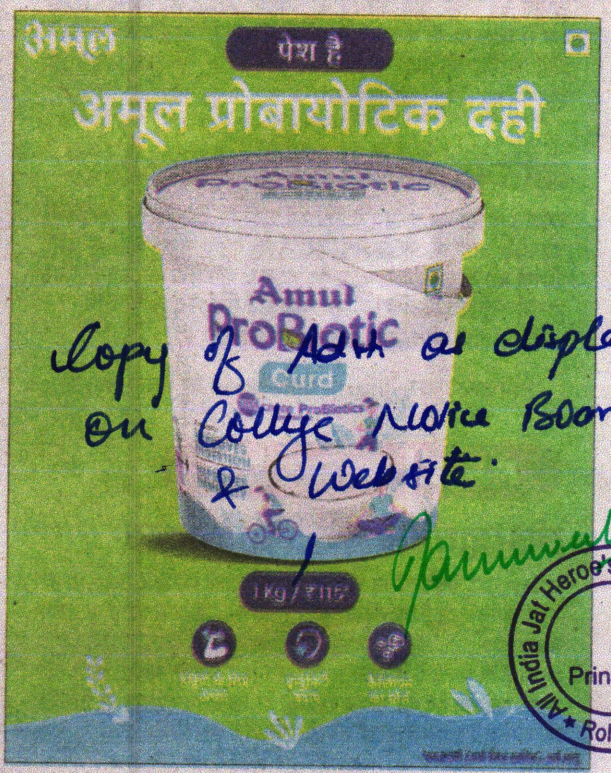

Copy of Advt as displayed on College Notice Board & Website.

All India Jat Heroes's Memorial College ★ Rohtak ★ Principal

Page-3
Dainik Bhaskar
(Rohtak Edition)

भास्कर एक्सक्लूसिव | हरियाणा में बरी हुए मामलों में करीब 87% में विभाग ने नहीं हटाई सजा

बरी हुए 113 पुलिसकर्मियों में 98 की विभागीय सजा कायम, 137 मामले अदालतों में लंबित

अजय बहादुर | अम्बाला

अदालत से किसी पुलिसकर्मी का बरी होना आमतौर पर उसके लिए राहत की खबर होती है, लेकिन हरियाणा पुलिस के विभागीय रिकॉर्ड में कई मामलों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अदालत से बरी होने के बाद भी विभागीय रिकॉर्ड में सजा कायम रह सकती है। गृह विभाग की जिलावार फाइल ट्रैकर का रिकॉर्ड यही बयां कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा में 113 पुलिसकर्मी ऐसे मामलों में अदालत से बरी हुए, लेकिन इनमें 98 की विभागीय सजा फिर भी कायम रही। यानी बरी हुए मामलों में करीब 87 फीसदी में विभाग ने सजा नहीं हटाई। जबकि 137 आपराधिक मामले अभी अदालतों में लंबित हैं। दूसरी तरफ, 155 मामलों में ऐसी सजा दर्ज है, जिसका असर वेतन वृद्धि या पेंशन पर पड़ता है।

अम्बाला में ट्रैकर के अनुसार यहां 9 मामले ऐसे हैं, जिनमें पुलिसकर्मी अदालत से बरी हुए, लेकिन सभी 9 में विभागीय सजा कायम रही। जिले में इसके अलावा 6 विभागीय जांच अभी लंबित हैं। अम्बाला अकेला जिला नहीं है, सोनीपत में भी 17 पुलिसकर्मी अदालत से बरी हुए और सभी 17 की विभागीय सजा कायम बताई गई है। फरीदाबाद में 10 में से सभी 10 बरी मामलों में सजा कायम रही। गुरुग्राम में 22 बरी मामलों में 15 में विभागीय सजा कायम रही।

गुरुग्राम में 22 बरी, 15 की विभागीय सजा कायम

जिला	कोर्ट से बरी	विभागीय सजा कायम	विभागीय जांच लंबित	आपराधिक केस लंबित	वेतन/पेंशन पर असर वाली सजा
अम्बाला	9	9	6	-	9
गुरुग्राम	22	15	22	10	19
फरीदाबाद	10	10	6	20	19
सोनीपत	17	17	10	9	-
हिसार	8	8	3	7	15
पानीपत	8	7	9	1	16
कुरुक्षेत्र	7	6	3	19	10
करनाल	4	4	5	15	12
भिवानी	5	5	-	-	-
कैथल	5	4	-	-	-
झज्जर	4	3	-	-	-
सिरसा	3	2	-	-	-
रोहतक	2	1	-	-	-
यमुनानगर	2	1	-	-	10
नूंह	1	0	-	-	-
नारनौल	0	0	2	3	-
फतेहाबाद	0	0	1	3	-
पंचकूला	0	0	2	2	-
चरखी दादरी	0	0	-	-	-

केस स्टडी-1 : 5 की जगह 2 इंक्रीमेंट रोकी

22 दिसंबर 1993 को हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल पर सेल्स टैक्स अधिकारी बनकर वाहन रोकने, चालक से 1,500 रुपए मांगने का आरोप लगा। अम्बाला सिटी थाने में केस दर्ज हुआ। 23 मई 1996 को सीजेएम ने शिकायतकर्ता के मुकरने पर दोनों को बरी कर दिया। विभागीय जांच में भी आरोप साबित नहीं हुए। फिर भी 30 मई 1997 को 5 वार्षिक वेतनवृद्धियां स्थायी प्रभाव से रोक दी गईं। अपील-रिवीजन खारिज होने के बाद हाई कोर्ट पहुंचे। 14 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट ने सजा अनुचालीय मानते हुए 5 की जगह दो इंक्रीमेंट रोकने का आदेश दिया।

केस स्टडी-2 : पेंशन में 15% कटौती

एक एएसआई पर 7 जुलाई 2013 को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, गुरुग्राम में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई। जांच में 25 फरवरी 2014 को आरोप साबित माने गए। 14 अक्टूबर 2014 को स्पेशल जज, पलवल ने उसे बरी कर दिया। इसके बावजूद विभाग ने 7 जनवरी 2015 को पेंशन में 15% कटौती की। डीजीपी ने 9 जुलाई 2015 को अपील खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने 31 मई 2017 को कहा कि विभागीय जांच में आपराधिक मुकदमे जैसी कठोर प्रमाण-व्यवस्था जरूरी नहीं है।

पुलिसकर्मियों से जुड़े मामले दो प्रक्रियाओं में चल रहे हैं

प्रदेश में 96 विभागीय जांच अभी लंबित हैं, जबकि 137 आपराधिक मामले अदालतों में लंबित बताए गए हैं। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों से जुड़े मामले अभी भी 2 अलग-अलग प्रक्रियाओं में चल रहे हैं। ट्रैकर में 155 ऐसे मामले दर्ज हैं जिनमें ऐसी विभागीय सजा का रिकॉर्ड है, जिसका असर वेतन वृद्धि या पेंशन पर पड़ सकता है। ट्रैकर में अपील के बाद बहाली के केवल 5 मामले दर्ज हैं। इनमें गुरुग्राम का 1, फरीदाबाद का 1, पानीपत का 1 और नारनौल के 2 मामले शामिल हैं।

भास्कर एक्सपर्ट

सुरेश कौशिक, पूर्व एसपी, राज्य वीकली ब्यूरो, अम्बाला

अदालत से बरी होना व जांच में निर्दोष होना दो अलग बातें

आपराधिक अदालत में बरी होना और विभागीय जांच में निर्दोष साबित होना दो अलग बातें हैं। आपराधिक मुकदमे में आरोप सिद्ध करने का मानक अधिक कड़ा होता है, जबकि विभागीय जांच में कर्मचारी के सेवा नियमों और कर्तव्य उल्लंघन को देखा जाता है। इसलिए अदालत से बरी होने के आधार पर विभागीय सजा स्वत: खत्म नहीं होती। यदि अदालत ने पुलिसकर्मी को आरोपों से पूरी तरह बरी किया है तो विभाग को सजा बरकरार रखने के लिए स्वतंत्र और ठोस कारण दर्ज करने चाहिए। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि विभागीय जांच में कौन-सा अलग तथ्य या नियम उल्लंघन सामने आया था।

बंदी सिखों की रिहाई को अब 11 सिख हर दिन उठाएंगे मीरी-पीरी से आवाज

एचएसजीएमसी का फैसला- जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे

भास्कर न्यूज | कुरुक्षेत्र



कुरुक्षेत्र | मीरी-पीरी चौक पर धरना देती संगत।

सजा पूरी होने के बाद भी जेलों में बंद सिखों की रिहाई की मांग को लेकर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीएमसी) ने आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। कमेटी पिछले चार दिन से मीरी-पीरी चौक पर धरना दे रही है। अब रोजाना कम से कम 11 सिख चौक पर धरने पर बैठेंगे। उनके साथ कमेटी का एक निर्वाचित सदस्य भी मौजूद रहेगा। जरूरत पड़ने पर जेल भरो आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

मंगलवार को भी सिख संगत ने धरना देकर 'बंदी सिखों को रिहा करो, कानून और संविधान की पालना करो' के नारे लगाए। 11 सितंबर को प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा ने धरने का आगाज किया था। उन्होंने कहा कि सजा पूरी कर चुके बंदी सिखों की रिहाई कौम की प्रमुख मांग है, लेकिन सरकार इस मामले में न्याय नहीं कर रही। उन्होंने सरकार से जल्द रिहाई की मांग की।

काम में अड़ंगा डालने की आदत हो गई है : झींडा

प्रधान झींडा का कहना है कि कुछ लोगों को कमेटी के कामकाज में अड़ंगा लगाने की आदत हो गई है। दीदार सिंह नलवी सीनियर सदस्य हैं, बावजूद इसके उन विषयों पर धरना दे रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं। जिस सदस्य को कोई दिक्कत है, तो वे उनसे मिलकर अपनी बात रख सकते थे। आज जो लोग बजट पास न होने पर सवाल उठा रहे हैं, वे ही तब बजट मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे।

इधर, गुरतेज और साथियों ने खत्म किया धरना

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हेडक्वार्टर पर धरना समाप्त हो गया। 7 सितंबर से धरने पर बैठे अम्बाला शहर से कमेटी सदस्य सरदार गुरतेज सिंह और साथियों ने सिख संगत के आह्वान पर धरना खत्म कर दिया। प्रधान सरदार जगदीप सिंह और उनकी कार्यकारिणी के सदस्यों से 24 सवालों का जवाब मांगते हुए धरना शुरू किया था। गुरतेज सिंह ने कहा यदि 24 सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो आगे की जिम्मेदारी क्षेत्र की संगत खुद संभालेगी।

योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्टिंग करें सीएमजीजीए : मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ | सीएम नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री सुशासन महर्षियों (सीएमजीजीए) की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को देने के निर्देश दिए। सीएम ने सीएम अनाउंसमेंट की लंबित परियोजनाओं की वजह सहित विस्तृत रिपोर्ट मांगी। गिरगेी हरियाणा योजना और समाधान शिविरों की जांच कर वास्तविक स्थिति बताने को कहा। साथ ही खेल स्टेडियमों व व्यायामशालाओं की रिपोर्ट देने के साथ-साथ अन्य कई निर्देश दिए।

18 अक्टूबर को होगा नामदेव जी का प्रकाश दिवस समारोह

चंडीगढ़ | संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के 756वें प्रकाश दिवस पर 18 अक्टूबर को सेक्टर-21 स्थित संत नामदेव भवन में भव्य समारोह होगा। सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री रणबीर गंगवा और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन बोर्ड के चेयरमैन विनय रोहिल्ला विशिष्ट अतिथि होंगे। नामदेव सभा हरियाणा के अध्यक्ष सतबीर वर्मा ने बताया कि पंजाब समेत विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचेंगे। सभागार में गुरु नामदेव जी की शिक्षाओं, चमत्कारों व संदेश पर आधारित प्रदर्शनी लगेगी। गुरु पाठ और लंगर प्रसाद की व्यवस्था भी रहेगी।

पलवल के मामले में कोर्ट की टिप्पणी: कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग की कोशिश

8 बच्चों के माता-पिता की सुरक्षा याचिका खारिज, कोर्ट बोला- ठोस खतरे का आधार नहीं

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 8 बच्चों के माता-पिता (एक विवाहित महिला और एक विवाहित पुरुष) द्वारा दायर सुरक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। दोनों पहले से अलग-अलग व्यक्तियों से शादीशुदा हैं और अपने-अपने परिवारों की इच्छा के विरुद्ध साथ रह रहे हैं। इन्होंने अपने पहले साथियों के साथ तलाक नहीं लिया था। पलवल निवासी याचिकाकर्ताओं ने अपने परिजनों से जान-माल का खतरा बताते हुए साथ रहने और पुलिस सुरक्षा दिए जाने की गुहार लगाई थी। महिला के 6 बच्चे हैं, जबकि पुरुष के 2 बच्चे हैं।

सामाजिक ताने बाने पर असर: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर पुलिस सुरक्षा का आदेश नहीं दिया जा सकता। ऐसे मामलों में सुरक्षा देने से पूरे सामाजिक ताने बाने पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हर नागरिक को प्राप्त है, लेकिन इसका इस्तेमाल कानून के शासन को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आलोक जैन की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने ऊपर किसी भी ठोस या खास खतरे का आधार प्रस्तुत करने में पूरी तरह असमर्थ रहे। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह याचिका केवल कानूनी प्रक्रिया की आड़ में अपने संबंधों को ढकने का एक प्रयास प्रतीत होती है, जो कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि शिकायत मिलने के बाद संबंधित परिजनों और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए थे, लेकिन किसी भी वास्तविक या प्रत्यक्ष खतरे की पुष्टि नहीं हुई है।

1 अक्टूबर से धान खरीद की तैयारी तेज मंडियों में गेट पास से भुगतान तक प्रक्रिया होगी पारदर्शी

चंडीगढ़ | हरियाणा में एक अक्टूबर से शुरू होने वाली धान की सरकारी खरीद को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों की मंडियों में किसानों के लिए पर्याप्त एवं सुचारु व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में कृषि विपणन, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि गेट पास जारी होने से लेकर तुलाई और बिक्री के बाद सीधे बैंक खाते में भुगतान तक पूरी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होनी चाहिए। धान की खरीद 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर पंजीकृत और सत्यापित आंकड़ों के आधार पर होगी। किसानों का जियोफेंसिंग से सत्यापन कर गेट पास जारी किए जाएंगे। वहीं, रबी सीजन के लिए यूरिया-डीएपी का अग्रिम भंडारण और प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

एनसीआर में लगेंगे 775 एएनपीआर कैमरे, 30 तक पूरा होगा पहला चरण

गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 249 कैमरे, खर्च होंगे 41.74 करोड़ रुपए

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़

एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले जीवन-अवधि पूरी कर चुके वाहनों (ईएलवी) की पहचान के लिए हरियाणा सरकार पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाने जा रही है। पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में कुल 775 कैमरे लगाए जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 41 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि एएनपीआर कैमरों के जरिए पेट्रोल पंपों पर पहुंचने वाले वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान की जाएगी। इससे जीवन-अवधि पूरी कर चुके वाहनों को चिह्नित करने और पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। जिलेवार गुरुग्राम में सबसे अधिक 249 कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा सोनीपत में 215, झज्जर में 195 और फरीदाबाद में 116 कैमरे स्थापित होंगे। प्रदेश में कुल करीब 2,780 एएनपीआर कैमरों की आवश्यकता है। प्रथम चरण में एनसीआर के इन चार जिलों को शामिल किया गया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के अनुसार कैमरों की स्थापना 30 सितंबर 2026 तक पूरी करनी है। इसके बाद 1 अक्टूबर से हरियाणा में पंजीकृत जीवन-अवधि पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन की आपूर्ति नहीं की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे पुराने वाहनों की पहचान और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

59 लाभार्थियों को 1.76 करोड़ की वित्तीय मदद

चंडीगढ़ | हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष में अगस्त 2026 तक 59 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 176.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी है। इसमें 138.75 लाख रुपए की सब्सिडी शामिल है। निगम का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को ऋण एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और कारोबार स्थापित करने के लिए सक्षम बनाना है।

आयुष्मान सेवाएं रोकने का फैसला वापस लिया

चंडीगढ़ | प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों के भुगतान में देरी और अन्य दिक्कतों को लेकर आईएमए ने 16 सितंबर से आयुष्मान योजनाएं अनिश्चित काल के लिए रोकने का निर्णय लिया था। अब आईएमए ने इसे वापस ले लिया है।

पंजाब-हरियाणा को तंबाकू नियंत्रण कानून के पालन पर 6 सप्ताह की मोहलत

सरकार ने कहा- शिकायत पर विचार कर पारित करेंगे आदेश

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़

तंबाकू उत्पादों की बिक्री, प्रचार और उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनों के प्रभावी पालन को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों को इस संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है।

चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ के समक्ष इस संबंध में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों राज्यों की ओर से आश्वासन दिया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सिफारिश और रिप्रेजेंटेशन पर पूरी गंभीरता से विचार किया जाएगा और तय समयसीमा के भीतर उचित आदेश पारित किए जाएंगे। कोर्ट ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते याचिका का निपटारा कर दिया।

यह है मामला: याचिकाकर्ता दीपिंदर सिंह ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, व्यापार, उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करने वाले साल 2003 के कानून का पंजाब और हरियाणा में पर्याप्त रूप से पालन नहीं हो रहा है। 22 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को दोनों राज्यों के संबंध अधिकारियों के समक्ष रिप्रेजेंटेशन देने की छूट दी थी। कोर्ट ने 60 दिनों के भीतर इस पर निर्णय लेने और उसकी प्रति रजिस्ट्री में दाखिल करने के निर्देश दिए थे। इधर, दोनों राज्यों की ओर से आश्वासन दिया गया कि शिकायत पर विचार कर उचित आदेश पारित किए जाएंगे।

हुड्डा के लिए हर कार्यकर्ता परिवार का सदस्य : भारद्वाज

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र कुमार भारद्वाज ने कहा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने परिवार का सदस्य माना है। उन्होंने यह बात हुड्डा के 79वें जन्मदिवस पर नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही।

भारद्वाज ने बताया कि सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में गाय के दूध से बने केक को काटकर हुड्डा का जन्मदिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का पहुंचना हुड्डा के साथ उनके आत्मीय संबंधों को दर्शाता है। इसी स्नेह और उदारता के चलते प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कार्यकर्ता उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। इस मौके पर रोहतक लोकसभा से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत पीसीसी मेंबर पंकज कुमार भारद्वाज, मोहन लाल सैनी, एडवोकेट हरिओम सिंह छोकर, सोहना के कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष शैलेष खटाना, पीसीसी मेंबर नंबरदार बीर सिंह खटाना, तावडू से ब्लॉक अध्यक्ष रज्जू चेयरमैन, मोहन सैनी, पंडित सुखीराम शर्मा, रवींद्र भामला, लोकेश राघव, गुरुदेव सिंह, रवींद्र भामला आदि मौजूद रहे।

All India Jat Heroes' Memorial (AIJHM) College Rohtak

JES/26/Advert/590 dated 16-09-2026

[Haryana Govt. Aided, Affiliated to M. D. University, Rohtak and Run & Managed by Jat Education Society (Regd.) Rohtak]

Website: https://jatcollegerohtak.ac.in

Email: aijhmcollegerohtak@gmail.com | Phone no: +91-9992000182

Advertisement for the Post of PRINCIPAL

For Online portal and more details visit college website.

Portal Opening Date: 16.09.2026

Portal Closing Date & Time: 07.10.2026 (till 5:00 PM IST)

Online applications are invited from eligible candidates for appointment to the vacant post of Principal (General) at AIJHM College, Rohtak, on a regular basis against a Grant-in-Aid post sanctioned by the Government of Haryana, in the Pay Matrix at Academic Level 14 (₹1,44,200–₹2,18,200) under the 7thCPC. The eligibility conditions, age relaxation, reservation, qualifications, pay scale, and selection criteria shall be as per the latest applicable norms and guidelines issued by the UGC, M.D. University, Rohtak, the State Government, and the Director General Higher Education, Haryana, Panchkula, with reference to the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Rules, 2006, and the notifications dated 11.11.2022, 12.12.2022, and 18.04.2023.

Eligibility:

The applicant shall possess the following qualifications and experience:

(i) Ph.D. degree.

(ii) Professor/ Associate Professor with a total service/ experience of at least 15 years of teaching/research in Universities, Colleges, and other institutions of higher education.

(iii) A minimum of 10 research publications in peer-reviewed or UGC-listed journals.

(iv) A minimum Research Score of 110 as per Appendix II, Table 2

Submission of Application:

Applications shall be submitted only through the online application portal, along with a non-refundable application fee of ₹1,000/- for candidates belonging to the General Category and ₹250/- for SC/BC candidates of Haryana, to be credited to the respective Account Heads. The last date for receipt of applications is 5:00 PM IST on 07.10.2026. (i) The Pay Scale; (ii) The Director, Higher Education, Siksha Sadan, Sector-5, Panchkula, Haryana; (iii) The Dean, College Development Council, MDU University, Rohtak; and (iii) The Office of the President/Governing Body, AIJHM College, Rohtak.

No Objection Certificate (NOC) from the present employer must be attached. Applications found incomplete and/or received after last date will not be considered.

Sd/- Satish Singh, President

Governing Body, AIJHM College, Rohtak

दैनिक भास्कर

दिमाग लगाओ इनाम पाओ

250 इनाम हर रोज़

क्विज 13 (14 सितंबर) के 250 विजेताओं के नाम देखने के लिए QR स्कैन करें।



प्रेशर कुकर (3 लीटर)

दिए गए नाम जिन प्रतियोगियों के हैं, उनकी ही पुरस्कार सिद्ध हो सकते हैं। विजेताओं की पात्रता लकी ड्रॉ द्वारा तय होगी।

भास्कर खास | 2.20 लाख परिवारों के लिए दो-दो दीये; 85% तक बांटे, बाकी आज देंगे

'आशीर्वाद का दीया' में यमुनानगर को 4.40 लाख दीये

भास्कर न्यूज | यमुनानगर

प्रदेश में 'आशीर्वाद का दीया' अभियान के लिए जारी जिलेवार आंकड़ों में यमुनानगर की स्थिति कई जिलों से आगे नजर आ रही है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अनुसार जिले के 2.20 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए 4.40 लाख दीये आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 80 से 85 प्रतिशत दिए जा चुके हैं, बाकी बुधवार शाम तक दे दिए जाएंगे। प्रदेश के 22 जिलों के आंकड़ों की तुलना करने पर जिले से अधिक आवंटन केवल पांच जिलों को मिला है, जबकि 16 जिलों में इससे कम दीये निर्धारित किए गए हैं।

प्रदेश की स्थिति: प्रदेश में कुल 39.76 लाख राशनकार्ड धारक परिवारों के लिए 79.52 लाख दीये आवंटित किए गए हैं। यानी प्रत्येक परिवार के लिए दो-दो दीये निर्धारित हैं। एएफएसओ राज कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देशों के अनुसार जिले को आवंटित दीयों की व्यवस्था की जा रही है। पात्र राशन कार्ड धारक परिवारों तक निर्धारित संख्या में दीये पहुंचाने की प्रक्रिया संबंधित स्तर पर पूरी कराई जाएगी। यमुनानगर के राशन कार्ड धारक परिवार प्रदेश के कुल लगभग 2 प्रतिशत हैं। इसी अनुपात में जिले को राज्य के कुल 79.52 लाख दीयों में करीब 4.40 लाख दीये मिले हैं।

कहां-कितना हुआ आवंटित

जिला	राशनकार्ड	आवंटित
हिसार	2,88,304	5,76,608
करनाल	2,53,838	5,07,676
फरीदाबाद	2,51,635	5,03,270
जींद	2,23,380	4,47,660
सिरसा	2,22,426	4,44,852
यमुनानगर	2,20,061	4,40,122
सोनीपत	2,07,548	4,15,096
पानीपत	2,03,584	4,07,168
भिवानी	1,99,335	3,98,670
पलवल	1,98,832	3,97,664
कुल	39,76,723	79,52,546

हिसार सबसे आगे, यमुनानगर छठे स्थान पर

- यमुनानगर के बाद आने वाले जिलों में सोनीपत को 4,15,096, पानीपत को 4,07,168, भिवानी को 3,98,670 और पलवल को 3,97,664 दीये आवंटित किए गए हैं। इसके बाद कई जिलों का आवंटन 4 लाख से नीचे चला जाता है। सबसे कम आवंटन पंचकूला को है, जहां 66,727 राशन कार्ड परिवारों के लिए 1,33,454 दीये आवंटित किए गए हैं। चरखी दादरी में 1,54,852 और फतेहाबाद में 3,33,352 दीये आवंटित किए गए हैं। इस तुलना से यमुनानगर का आवंटन प्रदेश के निचले पायदान वाले जिलों से काफी ऊपर दिखाई देता है। जिलेवार तुलना में हिसार सबसे ऊपर है। यहां 5,76,608 दीये आवंटित हुए हैं, जबकि फरीदाबाद को 5,03,270, जींद को 4,47,660 और यमुनानगर को 4,40,122 दीये मिले हैं।

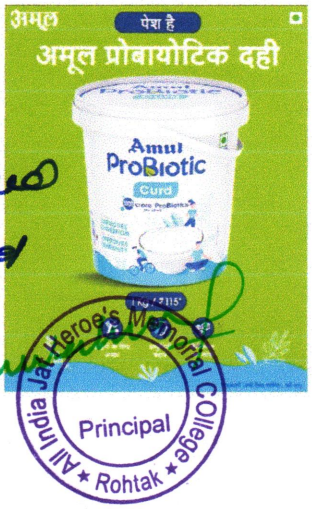

NEAR CAPITAL CHOWK, AMBALA CANTT., HARYANA - 133001 ACT 2002

emand Notice is hereby given under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of ial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) read with rule 3 of the Security t (Enforcement) Rules, 2002 here in after calling upon the under mentioned Borrowers / Guarantors to the Amounts outstanding for the Credit Facilities granted to them / on their Guarantee, within 60 days e date of this Notice. If you fail to repay to the LIC Housing Finance Ltd. the below mentioned amount rther interest and incidental expenses, costs etc. in terms of this notice u/s 13(2) of the Act, the LIC g Finance Ltd. will exercise all or any of the rights detailed under Sub-Section (4) of Section 13 and other applicable provisions of the said Act. You are also put on notice that in terms of sub-section 4 of n 13 you shall not transfer by sale, lease or otherwise the said secured assets detailed below of this without obtaining written consent of the LIC Housing Finance Ltd. The details of the account and ed Assets along with Amount Outstanding is given below:-

SCHEDULE OF THE IMMOVABLE PROPERTY & OTHER DETAILS

Name of Borrower and Guarantor	Description of the Secured Assets	NPA Date Date of Demand Notice Amount as per Demand Notice
Account No.: 311900000952 . Gurdeep Singh S/o Mr. Sujan Singh cant), House No. 0 C, Ward No. 3/5, dhary Colony, Near Chhita Mandir, nanagar, Haryana - 135001 (2) Mr. Singh S/o Mr. Gurdeep Singh (Co- cant), House No. 0 C, Ward No. 3/5, dhary Colony, Near Chhita Mandir,	Equitable mortgage by deposit of title deed no. 6636 Dated 15.01.2014 over immovable property situated at Property No. B-4/2172, Khasra No. 63, Mauja Munda Majra, Azad Nagar, Chaudhary Colony, Tehsil Jagadhri, Yamunanagar, Haryana - 135001, having area 80 Sq. Yards, hereinafter referred to as secured asset.	10.01.2020 31.08.2026 Rs. 29,44,359.38 with interest & other charges

nanagar, Haryana - 135001 (3) Mrs. Bhupinder Kaur W/o Mr. Gurdeep Singh (Co-Applicant), House C, Ward No. 3/5, Choudhary Colony, Near Chhita Mandir, Yamunanagar, Haryana - 135001 (4) Mrs. Inder Kaur D/o Mr. Inderjeet Singh (Guarantor), House No. 40, Choudhary Colony, Yamunanagar, na - 135001. Property Address:- Mr. Gurdeep Singh, Mr. Prince & Mrs. Bhupinder Kaur, Property No. 172, Khasra No. 63, Azad Nagar, Chaudhary Colony, Yamunanagar, Haryana - 135001.

Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section 13 of Act, in respect of time available, to em the secured assets.

: Ambala
15.09.2026

AUTHORISED OFFICER,
LIC HOUSING FINANCE LTD.

Model Economic Township Limited

egistered Office: 3rd Floor, 77-B, IFFCO Road, Sector-18, Gurugram - 122015, Haryana, Phone: 0124-352 7369
CIN: U70109HR2006PLC036416

PUBLIC NOTICE

HRERA Real Estate Project Registration
Certificate No. HRERA-PKL-JJR-6-2018 Dated 27.04.2018 &
Registration Certificate No. HRERA-PKL-JJR-195-2020 Dated 19.03.2020

General public is hereby informed that we, Model Economic Township Limited, have been granted Certificate of Supplementary Registration No. HRERA-7795 Dated 11.09.2026 for our industrial plotted roject, namely "Model Economic Township" (having total area 580.722 acres + 49.086 acres – 1.262 cres = 628.546 acres) by the Haryana Real Estate Regulatory Authority, Panchkula, forming part of ndustrial plotted colony on State Highway - 15A, situated at Village Dadri Toe, Bir Dadri, Yakubpur & Sondhi, Tehsil Badli, District Jhajjar (Haryana), bank account details of the Project are as under:

Account Name	:	Account Number
Model Economic Township Ltd - 100% Master Account (Collection Account)	:	459405000047
Model Economic Township Ltd - 70% Escrow Account (Project Account)	:	459405000049
Model Economic Township Ltd - 30% Free Account	:	777705055483
Account Type	:	Current Account
Bank Name	:	ICICI Bank Limited
Bank Branch Address	:	Reliance Met Ltd, Sector 5, Village Dadri Toye, Chhara Road, Jhajjar, Haryana-124515
IFSC Code No.	:	ICIC0004694

This notice is issued in compliance of the directions issued by the Haryana Real Estate Regulatory Authority, Panchkula.

Date: 15.09.2026

For Model Economic Township Limited
Authorised Signatory

www.modeleconomictownship.com

F'kot schools sparks panic

FARIDKOT/FAZILKA, SEPT 15

A bomb threat sent via email to six schools in Faridkot district on Tuesday morning sent the police into a tizzy, prompting a massive search operation.

No objectionable item was recovered from any of the schools during the search.

A similar threat was received by the SDM office and five private schools in Jalalabad. The threats triggered panic among school authorities and parents.

In Faridkot, two separate emails were received around 10.15 am. The first email threatened to blow up Kendriya Vidyalaya, Delhi International School and Jawahar Navodaya Vidyalaya. Later, a second email threatened Mahatma Gandhi Memorial School, Mount Litera Zee School and St Mary's School.—TNS

All India Jat Heroes' Memorial (AIJHM) College Rohtak

JES/26/Advert/590 dated 16-09-2026

[Haryana Govt. Aided, Affiliated to M. D. University, Rohtak and Run & Managed by Jat Education Society (Regd.) Rohtak]

Website: https://jatcollegerohtak.ac.in

Email: aijhmcollegerohtak@gmail.com | Phone no: +91-9992000182

Advertisement for the Post of PRINCIPAL

For Online portal and more details visit college website.

Portal Opening Date: 16.09.2026

Portal Closing Date & Time: 07.10.2026 (till 5:00 PM IST)

Online applications are invited from eligible candidates for appointment to the vacant post of Principal (General) at AIJHM College, Rohtak, on a regular basis against a Grant-in-Aid post sanctioned by the Government of Haryana, in the Pay Matrix at Academic Level 14 (₹1,44,200–₹2,18,200) under the 7thCPC. The eligibility conditions, age relaxation, reservation, qualifications, pay scale, and selection criteria shall be as per the latest applicable norms and guidelines issued by the UGC, M.D. University, Rohtak, the State Government, and the Director General Higher Education, Haryana, Panchkula, with reference to the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Rules, 2006, and the notifications dated 11.11.2022, 12.12.2022, and 18.04.2023.

Eligibility:

The applicant shall possess the following qualifications and experience:

(i) Ph.D. degree.

(ii) Professor/ Associate Professor with a total service/ experience of at least 15 years of teaching/research in Universities, Colleges, and other institutions of higher education.

(iii) A minimum of 10 research publications in peer-reviewed or UGC-listed journals.

(iv) A minimum Research Score of 110 as per Appendix II, Table 2

Submission of Application:

Applications shall be submitted only through the online application portal, along with a non-refundable application fee of ₹1,000/- for candidates belonging to the General Category and ₹250/- for SC/BC candidates of Haryana. No application shall be entertained if submitted solely through e-mail, post, courier, or by hand. After successful submission of the online application, the hard copy of the complete downloaded PDF application form, along with all supporting documents, must be submitted separately to each of the following three offices and must reach the respective office on or before 5:00 PM IST on 7 October 2026: **(i) The Director General, Higher Education, Siksha Sadan, Sector-5, Panchkula, Haryana; (ii) The Dean, College Development Council, M. D. University, Rohtak; and (iii) The Office of the President, Governing Body, AIJHM College, Rohtak.**

No Objection Certificate (NOC) from the present employer must be attached. Applications found incomplete and/or received after last date will not be considered.

Gulab Singh, President,
Governing Body, AIJHM College Rohtak

Copy of Advt. as displayed on College Notice Board & Website -

All India Jat Heroe's Memorial College ★ Rohtak ★ Principal

The Tribune
Page no. 6

Channi, Warring share stage in Pilot's unity push at Cong protest

RAJMEET SINGH
CHANDIGARH, SEPTEMBER 15

Seeking to end months of internal friction within the Punjab Congress, former CM and Jalandhar MP Charanjit Singh Channi and Punjab Congress president Amrinder Raja Warring today shared the stage in the presence of newly appointed Punjab affairs in-charge Sachin Pilot during a protest held at Punjab Congress Bhavan here.

On his maiden visit to Punjab – after being assigned the new job – Pilot was greeted by an impressive show of strength put together by leaders from different factions. In a public display of unity and to give a wider message to the party's rank and file, Pilot made Channi and Warring join hands on the stage, though the unease between the two leaders was evident."

Addressing the gathering, Warring mentioned Channi and senior leader Sukhjinder Singh Randhawa. As Channi's name was announced from the stage, party workers raised slogans in his support. Channi, however, did not mention Warring during his speech. The friction threatens to hurt the Congress' electoral prospects in the upcoming Assembly elections.

The Congress protest march towards the residence of Finance Minister Harpal Cheema over the alleged suicide of Gulzar Singh was stopped midway. The Chandigarh Police used water cannons before taking Pilot, Warring, Leader of Opposition Partap Bajwa and other leaders into preventive custody. However, the event brought the faction-ridden Punjab Congress together as all top state leaders shared the stage in the presence of Pilot. A senior leader said Pilot's visit signalled an attempt to broker peace among the party's state leaders and indicated his broad acceptance across rival factions. His predecessor Bhupesh Baghel was accused of siding with Warring. Treading a cautious path, Pilot was seen interacting with all leaders equally. Even the protest march was held under the banner of Pilot and not in the name of any state leaders.

Addressing the gathering, Pilot demanded an independent probe into the death of Gulzar Singh and the inclusion of Cheema's name in the FIR. Lashing out at the AAP government over Gulzar's death, he said the issue of the drug menace had reached alarming levels. "We have no personal enmity with Cheema sahib. But you are sitting in office, you are the Finance Minister. A man is taking his life and making a video saying that 'I am taking my own life because of this person'. Does the law not say that there should be an investigation, there should be an FIR?" asked Pilot.

He claimed AAP had not fulfilled any of its poll promises and worked to push Punjab into the "black darkness of drugs". "Today, 'chitta' (synthetic drugs) is being delivered home. You make a phone call and it is reaching every home. What to speak of a Dalit Deputy CM, the Dalits like Gulzar Singh are forced to commit suicide under the AAP regime," Pilot charged.

Among those present included Braham Mohindra, Vijay Inder Singla, Rana KP Singh, Dr Amar Singh, Sukhpal Singh Khaira, Rana Gurjeet Singh, Gurjeet Singh Aujla, Bharat Bhushan Ashu, Dr Raj Kumar Verka, Sukhminder Danny, Sangat Singh Gilzian, Kuljit Singh Nagra, Amarpreet Lally, Lakhvir Singh Lakha, Balbir Singh Sidhu, Amit Vij, Pawan Adia, Sukhbinder Singh Sarkaria, Inderbir Bolaria, Gurkirat Singh, Baljit Kaur and others.


Congress workers and leaders during a protest in Chandigarh on Tuesday. PARVINDER

Canada deports four over extortion links

CHANDIGARH, SEPTEMBER 15

Canadian authorities have deported four Punjab-origin persons over their alleged links to organised crime, including extortion-related violence.

The Canada Border Services Agency (CBSA) said Palwinder Singh, Jasmer Singh, Amritar Bajwa and Sahibjot Singh were found inadmissible under the Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) for links to criminal organisations or serious criminality.

Each case involved extortion-related violence or offences linked to organised crime. All four were deported following rulings by the Immigration and Refugee Board of Canada.

CBSA data shows that, as of September 3, 2026, 188 removal orders had been issued nationwide on various inadmissibility grounds, with 111 individuals removed. By region, 91 removal orders and 58 removals were recorded in the Pacific region, 47 orders and 30 removals in the Prairies, and 50 orders and 23 removals in the Greater Toronto Area.

Public Safety Minister Gary Anandasangaree said the removals highlighted Canada's commitment to disrupting extortion and organised crime through collaboration with law enforcement agencies. CBSA President Erin O'Gorman said more than 100 removals linked to extortion demonstrated the impact of coordinated enforcement. — TNS

AAP counters Cong, raises anti-Sikh riots

CHANDIGARH, SEPTEMBER 15

The Aam Aadmi Party (AAP) on Tuesday slammed the Congress for exploiting tragedies for political gains while refusing to answer questions about its own record. It said Punjab had not forgotten the 1984 anti-Sikh riots, the pain of which continued to be carried by families across generations, and questioned why Congress leaders still avoided accountability on the issue.

AAP said Gulzar Singh's death was tragic and the matter should be investigated thoroughly, but Congress leaders should not turn the grief of a family into a political ladder. The party said the investigation was underway and the law should take its course, while questioning Punjab Congress affairs in-charge Sachin Pilot's attempt to use the matter for political headlines instead of allowing the investigation to proceed. Punjab AAP president and Cabinet Minister Aman Arora said, "Punjab has not forgotten 1984, and it will not forgive the Congress; 42 years on, the pain is just as real. Every time Congress leaders dodge questions and run from accountability, they show complete contempt for Punjab."

Finance Minister Cheema said questioned the Congress over its continued silence on the issue. "Why is there a fear about 1984 in the Congress?" he said.—TNS

Form No. 3 [See Regulation 12(3)(a)]
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH [DRT 2]
HDFC Bank Vs Amit Kumar and Others
Case No. OA/270/2026
Signature of the officer Authorised to Issue Summons.

Form No. 3 [See Regulation 12(3)(a)]
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH [DRT 2]
HDFC Bank Vs Jagdeep Singh and Others
Case No. OA/269/2026
Signature of the officer Authorised to Issue Summons.

LIC HOUSING FINANCE LTD.
JEEVAN JYOTI BUILDING, 1ST FLOOR, JAGADHARI ROAD NEAR CAPITAL CHOWK, AMBALA CANTT., HARYANA - 133001
DEMAND NOTICE 13(2) OF SECURITISATION ACT 2002
This Demand Notice is hereby given under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 here in after calling upon the under mentioned Borrowers / Guarantors to repay the Amounts outstanding for the Credit Facilities granted to them / on their Guarantee, within 60 days from the date of this Notice. If you fail to repay to the LIC Housing Finance Ltd. the below mentioned amount with further interest and incidental expenses, costs etc. in terms of this notice u/s 13(2) of the Act, the LIC Housing Finance Ltd. will exercise all or any of the rights detailed under Sub-Section (4) of Section 13 and under other applicable provisions of the said Act. You are also put on notice that in terms of sub-section 4 of Section 13 you shall not transfer by sale, lease or otherwise the said secured assets detailed below of this notice without obtaining written consent of the LIC Housing Finance Ltd. The details of the account and Secured Assets along with Amount Outstanding is given below:
SCHEDULE OF THE IMMOVABLE PROPERTY & OTHER DETAILS
Name of Borrower and Guarantor | Description of the Secured Assets | NPA Date / Date of Demand Notice / Amount as per Demand Notice
Loan Account No.: 311900000952
(1) Mr. Gurdeep Singh S/o Mr. Sujan Singh (Applicant), House No. 0 C, Ward No. 3/5, Choudhary Colony, Near Chhota Mandir, Yamunanagar, Haryana - 135001 (2) Mr. Prince Singh S/o Mr. Gurdeep Singh (Co-Applicant), House No. 0 C, Ward No. 3/5, Choudhary Colony, Near Chhota Mandir, Yamunanagar, Haryana - 135001 (3) Mrs. Bhupinder Kaur W/o Mr. Gurdeep Singh (Co-Applicant), House No. 0 C, Ward No. 3/5, Choudhary Colony, Near Chhota Mandir, Yamunanagar, Haryana - 135001 (4) Mrs. Sukhwinder Kaur D/o Mr. Inderjeet Singh (Guarantor), House No. 48, Choudhary Colony, Yamunanagar, Haryana - 135001. Property Address - Mr. Gurdeep Singh, Mr. Prince & Mrs. Bhupinder Kaur. Property No. B-4/2172, Khasra No. 63, Azad Nagar, Choudhary Colony, Yamunanagar, Haryana - 135001
Equitable mortgage by deposit of title deed no. 6636 Dated 15.01.2014 over immovable property situated at Property No. B-4/2172, Khasra No. 63, Mauja Munda Majra, Azad Nagar, Choudhary Colony, Tehsil Jagadhri, Yamunanagar, Haryana - 135001, having area 80 Sq. Yards, hereinafter referred to as secured asset.
10.01.2020
31.08.2026
Rs. 29,44,359.38
with interest & other charges
The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section 13 of Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.
PLACE: Ambala
DATE: 15.09.2026
AUTHORISED OFFICER, LIC HOUSING FINANCE LTD.

Model Economic Township Limited
Registered Office: 1st Floor, 27-B, IFFCO Road, Sector-09, Gurugram - 122015, Haryana, Phone: 0124-4127169
CIN: U74120HR2006PLC084416
PUBLIC NOTICE
HRERA Real Estate Project Registration
Certificate No. HRERA-PKL-JJR-6-2018 Dated 27.04.2018 &
Registration Certificate No. HRERA-PKL-JJR-195-2020 Dated 19.03.2020
General public is hereby informed that we, Model Economic Township Limited, have been granted Certificate of Registration No. HRERA-47/95 Dated 11.08.2020 for our industrial plotted project, namely "Model Economic Township" having total area 592.225 acres i.e. 49.296 acres + 1.242 acres = 628.763 acres by the Haryana Real Estate Regulatory Authority, Panchkula, forming part of industrial plotted colony on Straw Highway - 15A, situated at Village Dadri Tor, Jat Dadri, Talukpur & Sendha, Tehsil Badli, District Jhajjar (Haryana). Bank account details of the Project are as under:
Account Name : Account Number
Model Economic Township Ltd. - 100% Master Account (Collection Account) : 4956760030047
Model Economic Township Ltd. - 20% Escrow Account (Project Account) : 4956760030049
Model Economic Township Ltd. - 80% Free Account : 777729005433
Account Type : Current Account
Bank Name : ICICI Bank Limited
Bank Branch Address : Reliance Mart Ltd, Sector 5, Village Dadri Tor, On SH-15A, Jhajjar, Haryana 124515
IFSC Code No. : ICIC0004704
This notice is issued in compliance of the directions issued by the Haryana Real Estate Regulatory Authority, Panchkula.
Date: 15.09.2026
For Model Economic Township Limited
Authorised Signatory
www.modeleconomictownship.com

Bomb threat to Jalalabad, F'kot schools sparks panic

FARIDKOT/SAZALKA, SEPT 15

A bomb threat sent via email to six schools in Faridkot district on Tuesday morning sent the police into a tizzy, prompting a massive search operation.

No objectionable item was recovered from any of the schools during the search.

A similar threat was received by the SDM office and five private schools in Jalalabad. The threats triggered panic among school authorities and parents.

In Faridkot, two separate emails were received around 10.15 am. The first email threatened to blow up Kendriya Vidyalaya, Delhi International School and Jawahar Navodaya Vidyalaya. Later, a second email threatened Mahatma Gandhi Memorial School, Mount Litera Zee School and St Mary's School.—TNS

All India Jat Heroes' Memorial (AIJHM) College Rohtak
JES/25/Advert/599 dated 16-09-2026
[Haryana Govt. Aided, Affiliated to M. D. University, Rohtak and Run & Managed by Jat Education Society (Regd.) Rohtak]
Website: https://jatcollegerohtak.ac.in
Email: aijhmcollegerohtak@gmail.com | Phone no. +91 9992306162
Advertisement for the Post of PRINCIPAL
For Online portal and more details visit college website
Portal Opening Date: 16.09.2026
Portal Closing Date & Time: 07.10.2026 (till 5:00 PM IST)
Online applications are invited from eligible candidates for appointment to the vacant post of Principal (General) at AIJHM College, Rohtak, on a regular basis against a Grant-in-Aid post sanctioned by the Government of Haryana, in the Pay Matrix at Academic Level 14 (₹1,44,200–₹2,18,200) under the 7thCPC. The eligibility conditions, age relaxation, reservation, qualifications, pay scale, and selection criteria shall be as per the latest applicable norms and guidelines issued by the UGC, M.D. University, Rohtak, the State Government, and the Director General Higher Education, Haryana, Panchkula, with reference to the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Rules, 2006, and the notifications dated 11.11.2022, 12.12.2022, and 18.04.2023.
Eligibility:
The applicant shall possess the following qualifications and experience:
(i) Ph.D. degree
(ii) Professor/ Associate Professor with a total service/ experience of at least 15 years of teaching/research in Universities, Colleges, and other institutions of higher education.
(iii) A minimum of 10 research publications in peer-reviewed or UGC-listed journals.
(iv) A minimum Research Score of 110 as per Appendix II, Table 2.
Submission of Application:
Applications shall be submitted only through the online application portal, along with a non-refundable application fee of ₹1,000/- for candidates belonging to the General Category and ₹250/- for SC/BC candidates of Haryana. No application shall be entertained if submitted solely through e-mail, post, courier, or by hand. After successful submission of the online application, the hard copy of the complete downloaded PDF application form, along with all supporting documents, must be submitted separately to each of the following three offices and must reach the respective office on or before 5:00 PM IST on 7 October 2026: (i) The Director General, Higher Education, Siksha Sadan, Sector-5, Panchkula, Haryana; (ii) The Dean, College Development Council, M. D. University, Rohtak; and (iii) The Office of the President, Governing Body, AIJHM College, Rohtak.
No Objection Certificate (NOC) from the present employer must be attached. Applications found incomplete and/or received after last date will not be considered.
Gulab Singh, President, epaper.tribuneindia.com College Rohtak

Days after controversial ad, Punjabi driver held in US

MOHIT KHANNA
TORONTO BUREAU CHIEF
CHANDIGARH, SEPTEMBER 15

US Immigration and Customs Enforcement (ICE) in Boston has arrested Satvir Singh, a truck driver of Punjab origin, during a targeted operation at a commercial vehicle inspection station in Hillsborough. Singh, who lived in New Jersey and worked as an interstate truck driver, was taken into custody on September 11.

In a post on X on Monday, ICE said Singh entered the US legally in 2017 but violated the terms of his admission by remaining in the country unlawfully for more than eight years. "Enforcement and Removal Operation (ERO) Boston will continue to keep our New England highways, streets, and communities safe," the agency said.

The arrest came a day after the Department of Homeland Security (DHS) removed a controversial digital advertisement that targeted undocumented truck drivers.

The AI-generated, Transformers-style poster, published on X, depicted a brown-bearded man with the tagline: "Get off our roads, you don't know how to drive, Mr Singh."

The campaign drew criticism from Indian-American and Sikh advocacy groups, who called it racist propaganda. Democratic leaders, including California Governor Gavin Newsom and Congressman Raja Krishnamoorthi, also criticised the campaign.

IN LOVING MEMORY OF OUR RESPECTED
Shri H.L. Vij Ji
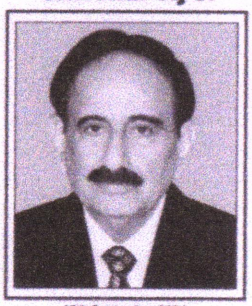
16th September 2024
Today, marks two years since the soul of our revered father departed for his heavenly abode. We remember his eventful life and exemplary legacy with deep respect and undiminished gratitude. We continue to cherish and foster the values [illegible] left us, which continues to guide us [illegible] right path. We [illegible] for the eternal peace for his soul in its new realm of serenity and Divinity
DEEPLY MISSED AND REMEMBERED BY:
Madhu S... (Daughter & Son-in-law)
Geeta ... (Daughter & Son-in-law)
Radhika & Hemant Bajaj (Daughter & Son-in-law)
Veena & Ashok ... (Daughter & Son-in-law)
Anil Grand Children
Members of Modern Automobiles, Standard Service Modern Automobiles Engineers, Ultimate Automobiles Pvt. Ltd., Excel Automobiles Pvt. Ltd., Nirmal Motor Garage

Copy of Notice Board. on college Notice Board. & website.

All India Jat Heroes' Memorial College Principal Rohtak

दसे में एक युवक की मौत हो
जबकि चार अन्य घायल हुए हैं।
की पहचान विशाल निवासी
एयरपोर्ट रोड बहलाना चंडीगढ़
पर हुई है। वहीं घायलों में
, राहुल, प्रमट और गौरव

मौके पर पहुंची और देर रात बचाव अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि युवकों ने कहीं शराब का सेवन तो नहीं किया था।

गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा (रजि.), रोहतक

आवश्यक सूचना

सभी नये आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आजीवन सदस्यता हेतु जमा करवाए गए 1,100/- के पैक/डीडी में से जिनके पैक/डीडी बैंक द्वारा किसी कारणवश अस्वीकृत/वापिस कर दिए गए हैं। वे दिनांक 16.10.2026 तक 1,100/- का नया पैक/डीडी सभा कार्यालय में जमा करवाएं। अन्यथा उनका सदस्यता आवेदन मान्य नहीं होगा। संबंधित आवेदकों की सूची सभा कार्यालय एवं आधिकारिक वेबसाइट (www.gbvps.org) पर उपलब्ध है। साथ ही, सभा की पुरानी आजीवन सदस्यता सूची का शुद्धिकरण एवं आवश्यक सुधार किया जा रहा है। नाम/पते में किसी प्रकार की त्रुटि/परिवर्तन अथवा किसी सदस्य के देहांत की स्थिति में संबंधित प्रमाण-पत्र/मृत्यु प्रमाण-पत्र सभा कार्यालय में जमा करवाएं, ताकि सदस्यता सूची को त्रुटिरहित एवं अंतिम रूप दिया जा सके और आगामी निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके।

प्रशासक / प्रदेश सचिव
गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा (रजि.), रोहतक
सभा कार्यालय, रोहतक

दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
मुरथल, सोनीपत-131039 हरियाणा (भारत)
ऊर्जा और पर्यावरण अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र

विज्ञापन संख्या 17/2026

एआईसीटीई-आरपीएस 2025: लैब टू मार्केट परियोजना के तहत परियोजना सहयोगी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका शीर्षक है "ग्राफिक कार्बन नाइट्राइड आधारित नैनोमैटेरियल्स के स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरणीय अनुप्रयोग सतत विकास की दिशा में", विशुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर। आवेदन अधोहस्ताक्षरी के पास 21 सितंबर 2026 तक पहुंच जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://www.dcrustm.ac.in पर जाएं।

डॉ. एस. पी. नेहरा
प्रधान अन्वेषक

PRDH-1240/11/68/2027/49294/C/67/6

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, (हिसार)

अभियोग संख्या 129 तिथि: 02.06.2026 धारा 127(6) थाना उकलाना हिसार ।

पत्र क्रमांक न. - 2713-5A तिथि: 13.09.2026 थाना उकलाना जिला हिसार ।

नाम: सुष्मा पत्नी राजेश कुमार
पता: गांव सुरेकाला जिला हिसार
गुमशुदा की पहचान: रंग गौरा, गोल चेहरा, हृष्ट पुष्ट शरीर, गुलाबी रंग की सलवार सूट पहने हुए, कद करीब 4 फुट 7 इंच, उम्र 45 वर्ष

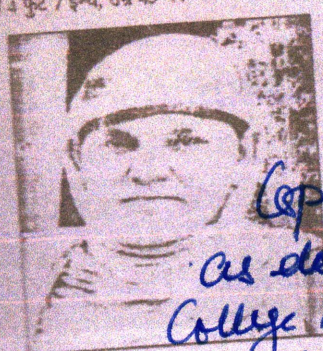

यदि किसी सज्जन को इनके बारे में पता चले तो कृपया निम्न पते पर सूचित करें:
प्रबंधक थाना
थाना उकलाना जिला हिसार 8814[illegible]313
पुलिस कंट्रोल हिसार: 01662-[illegible]
अनुसंधानकर्ता-7988123845

PRDH-1084/11/5329/2027/49271/67/6

(घ) असदउल्लाह

3. यूरस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने पर ज्योति को कितने रुपए इनाम मिले?

(क) 52 लाख (ख) 54 लाख (ग) 62 लाख (घ) 55 लाख



All India Jat Heroes' Memorial (AIJHM) College Rohtak

JES/26/Advert/590 dated 16-09-2026
[Haryana Govt. Aided, Affiliated to M. D. University, Rohtak and Run & Managed by Jat Education Society (Regd.) Rohtak]
Website: https://jhatcollegerohtak.ac.in
Email: aijhmcollegerohtak@gmail.com | Phone no: +91-9992000182

Advertisement for the Post of PRINCIPAL

For Online portal and more details visit college website.

Portal Opening Date: 16.09.2026

Portal Closing Date & Time: 07.10.2026 (till 5:00 PM IST)

Online applications are invited from eligible candidates for appointment to the vacant post of Principal (General) at AIJHM College, Rohtak, on a regular basis against a Grant-in-Aid post sanctioned by the Government of Haryana, in the Pay Matrix at Academic Level 14 (₹1,44,200–₹2,18,200) under the 7thCPC.The eligibility conditions, age relaxation, reservation, qualifications, pay scale, and selection criteria shall be as per the latest applicable norms and guidelines issued by the UGC, M.D. University, Rohtak, the State Government, and the Director General Higher Education, Haryana, Panchkula, with reference to the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Rules, 2006, and the notifications dated 11.11.2022, 12.12.2022, and 18.04.2023.

Eligibility:
The applicant shall possess the following qualifications and experience:
(i) Ph.D. degree.
(ii) Professor/ Associate Professor with a total service/ experience of at least 15 years of teaching/research in Universities, Colleges, and other institutions of higher education.
(iii) A minimum of 10 research publications in peer-reviewed or UGC-listed journals.
(iv) A minimum Research Score of 110 as per Appendix II, Table 2

Submission of Application:
Applications shall be submitted only through the online application portal, along with a non-refundable application fee of ₹1,000/- for candidates belonging to the General Category and ₹250/- for SC/BC candidates of Haryana.No application shall be entertained if submitted solely through e-mail, post, courier, or by hand. After successful submission of the online application, the hard copy of the complete downloaded PDF application form, along with all supporting documents, must be submitted separately to each of the following three offices and must reach the respective office on or before 5:00 PM IST on 7 October 2026: **(i) The Director General, Higher Education, Siksha Sadan, Sector-5, Panchkula, Haryana;(ii) The Dean, College Development Council, M. D. University, Rohtak; and(iii) The Office of the President, Governing Body, AIJHM College, Rohtak.** No Objection Certificate (NOC) from the present employer must be submitted. Applications found incomplete and/or received after last date will not be considered.

Gulab Singh, President,
Governing Body AIJHM College Rohtak

Copy of Advt. as displayed on College Notice board & website

All India Jat Heroes's Memorial College ★ Rohtak ★ Principal

Page-2
Dainik Jagran

एक नजर में

100 मीटर में संचालित 103 आवासीय विद्यालय होंगे बंद

करनाल : 103 आवासीय विद्यालयों को बंद करने की तैयारी है। हालांकि, करनाल में 100 मीटर के अंदर कोई दूसरा भवन नहीं होने की वजह से यहां के सभी 03 आवासीय विद्यालय विद्यालय और कार्यालय प्रशासनिक विद्यालय एक ही परिसर में संचालित हैं, जबकि 26 विद्यालय 100 मीटर के दायरे में बने हैं। इन स्कूलों को बंद करने का कड़ा विरोध हो रहा है। अभिभावक शिक्षा निदेशक से लगातार लिखा मौखिक रूप से मांग कर रहे हैं।

संवाद निधि का अनुपालन ठहराने को छह सदस्य का समय

राज्य सूचना आयोग • बरौंदा : सरकारी दफ्तरों की तिजोरी, दफ्तर और उपायुक्त को नियमित करना राज्य सूचना आयुक्त के उन्हीं आदेश के लिए उपायुक्त और हरियाणा सरकारों को लगाई फटकार ने छह सदस्यों का समय दिया है।

जानकारी जानिया पर सूचनाएं के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से दी गई जानकारी को संशोधन कर संशोधन किया जाएगा। चीफ जस्टिस आनंदी कुमार मिश्रा और जस्टिस संदीप कुमार की खंडपीठ के समक्ष यह मामला चल रहा है। याचिकाकर्ता वीरेंद्र सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी।

संचित निधि से 7136 करोड़ रुपये के भुगतान पर मुहर

राज्य सूचना आयुक्त बरौंदा : वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हरियाणा सरकार की विधिन्न सेवाओं का : 7136.61 करोड़ रुपये के भुगतान और विनियोजन का प्रस्ताव मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में पारित किया गया। हरियाणा विनियोग (संख्या-2) विधेयक-2026 को सरकार ने पेश किया था। जनवरी-जून में मानसून में पेश है। इस राशि में से, सरकार पहले ही 2,500 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है। शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

विकने के इंतजार में बेमोल पड़ा बाजरा

3 लाख हेक्टेयर में इस बार उत्पादन 14 लाख टन होने का अनुमान **4.48** लाख हेक्टेयर में बिजाई अब हुई पूरी

लोकेश रोहतक • जागरण

बरसी बारिश : प्रदेश की मंडियों में बाजरा की आवक पखवाड़ा पहले शुरू हो गई है, लेकिन सरकारी खरीद की व्यवस्था अभी स्पष्ट नहीं है। किसान खेत से फसल निकालकर मंडी पहुंचने लगे हैं, लेकिन मार्केट कमेटी अधिकारियों और आढ़तियों खरीद शुरू होने की तारीख, एजेंसियों तथा प्रक्रिया संबंधी जानकारी नहीं दे रहे हैं। नियमानुसार खरीद एक जुलाई से शुरू होनी थी। हालांकि, हरियाणा राज्य बीज एवं उपज प्रमाणन अभिकरण की ओर से जुलाई में जांचे गए 26 नमूनों में से 12 जिलों के 54 खेतों में बाजरा खरीद जैसा है।

मौके पर फसल मेल खरीद पर पंजीकृत किसानों से खरीद का प्रक्रिया में और 2900 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय है। ऐसे में अचानक बढ़ने से पहले खरीद व्यवस्था स्पष्ट नहीं होने पर किसानों के सामने फसल बेचने को लेकर अनिश्चितता बढ़ सकती है। खासा उत्पादक क्षेत्रों में अगेती फसल की कटाई शुरू होने के बाद किसान मंडियों का रुख कर रहे हैं। अभी आवक सीमित है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें तेजी आने की संभावना है। किसानों के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि सरकारी खरीद कब शुरू होगी। आढ़तियों की भी खरीद केंद्र एजेंसी की लिमोटरी और अन्य औपचारिकताओं को जानकारी नहीं मिली है।

मांग : अभी नहीं मिला खरीद का शेड्यूल

मार्केट कमेटी सचिव विकासकुमार ने बताया कि प्रदेश की मंडियों में बाजरा खरीद एक साथ शुरू होगी। अभी तक खरीद शुरू करने का शेड्यूल, फैसलों संबंधी निर्देश या खरीद एजेंसी के बारे में जानकारी नहीं मिली है। उच्च अधिकारियों को ओर से निर्देश मिलने के बाद उनकी पालना की जाएगी।

- **पहली फसल मेरा खाना पर फैसीलिटेशन किसानों को मिलेगा 2900 रुपये एमएसपी**
- **जुलाई में खरीद का पत्र...नहीं होने के बावजूद में ट्रॉली तक पेशकूर, ऐसाकियां संबंधी निर्देश नहीं पहुंचे**



फसली दाहने अनाज मंडी में बाजरा की ढेरी को साफ करती महिला श्रमिक • जागरण

जुलाई में जारी पत्र, फिर भी शेड्यूल तय नहीं

विभागीय के अनुसार, मंडियों, अनाज बाजारों, फड़ेबाजार, गुरुग्राम, हिसार, नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक, भिवानी और कलेवाला समेत 17 जिलों की 54 मंडियों में खरीद का प्रविधान है। हालांकि कवायद भारी मात्रा पर खरीद की तारीखों और प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता नहीं है।

जानें...पिछले सात कितनी खरीद हुई

हरियाणा में 2023-24 में एमएसपी पर 3,56,022 टन बाजरा एमएसपी पर खरीदा गया, जबकि 2024-25 में खरीद घटकर 2,14,976 टन रह गई। इन्हें एक लाख किसान 1.41 लाख टन से करीब 40 प्रतिशत की कमी आई।

कम खरीस से सबसे पहले ही घटा

इस बार 14 जुलाई तक खेतों में कटाई शुरू न करने से 0.34 लाख हेक्टेयर में बिजाई हो पाई है। पिछले साल इसी तारीख तक 4.48 लाख हेक्टेयर में बिजाई हो चुकी थी। इसी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कम खरीस में किसानों को नहीं प्रभावित हो।

मंडियों में जियोफेंसिंग से सत्यापन के बाद ही जारी होंगे गेट पास

राज्य ब्यूरो जागरण • करौंदा : अधिकारी को अनाज मंडियों में फल अवैध्यता से बचने और इंश्योरेन्स मामलों को सुगम व सिलवर्ती दर्रों पर इनाज उपलब्ध कराया जाएगा। खेमेबाजन की रिपोर्ट में सामने आया कि सहकारिता विभाग, हरियाणा ग्रेनरी लिमिटेड, हरियाणा वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के अधिकारियों संग बैठक की। निर्देश दिए गए कि यदि गलत या की मंडियों में व्यवस्था और सामुदियन

- **हरियाणा में एक अगस्त से शुरू होगी धान की सरकारी खरीद**
- **फेंटर पर दर्ज फसल खोल मिलान के बाद होगी खरीदें**

जाकर्ता सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की अड़चनों का सामना न करना पड़े। कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि बेर फसल जारी होने से पहले फसल की पुलाई और बिक्री के बाद खेत किसान के बैंक खाते में भुगतान पहुंचने तक की पूरी व्यवस्था सरल और पारदर्शी होनी चाहिए।

जोगिया धान खरीद जानकारी के साथ-साथ कृषि मंत्री ने आयामी एवं (आधारी) सीवेज, क्लिनिकर मेंढ़ की कुंजों के लिए भी पूरे फैसलों के निर्देश दिए।

अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण पर प्रदेश सरकार ने बढ़ाया कदम

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने रिपोर्ट तैयार करने को कहा

राज्य ब्यूरो जागरण • चंडीगढ़ : सरकारी स्कूलों में करीब 20 जगहों से रोजाना दो से करीब 12 हजार मेट टीचरों के नियमितीकरण की मांग पर फैसला सरकार के स्तर पर अब प्रक्रिया आगे बढ़ती दिखाई दे रही है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ 31 अगस्त की हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध की आगे प्रक्रिया के लिए मेल किया है। इसी तरह समय से नियमितीकरण की राह देख रहे अतिथि अध्यापकों को उम्मीद बंधी है कि सरकार इस पूरे का जल्दबाजित समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डीएस ढेसी ने सोमवार के दिन प्रधान सचिव वोकेशनल सहित सभी मेट कैडरों के नियमितीकरण से जुड़े मामलों को गहराई से देखने के लिए कहा है। इससे पहले अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण से जुड़े कई कोर्ट के आदेश और नियमितीकरण की प्रक्रिया में संशोधन पूरे रिपोर्ट तैयार करने तक नियमितीकरण की प्रक्रिया को रोकने के आदेश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री के दूसरी जानकारी के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित पत्र पर 15 शिक्षक की तारीख अंकित है। ऐसे में अब अधिकारियों के स्तर पर मामले के कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा।

उल्लेखनीय, 31 अगस्त को विधानसभा सत्र के बाद विधानसभा संकेतालय परिसर में मुख्यमंत्री के साथ मेट टीचरों के नियमितीकरण को लेकर बैठक हुई थी। इसमें शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण से जुड़े कई कोर्ट के आदेश और उनको लेने सरकार से पहले उन गये पक्ष का पूरा प्रयुक्तता से रखा था। मुख्यमंत्री ने मामले से अतिरिक्त स्तर की बैठक बुलाकर तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को ओर से मामले आगे बढ़ाया जाना इस दिशा में फास्टाबुई करार माना जा रहा है। मेट टीचर इससे पहले शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और निदेशक के साथ भी अलग-अलग उठा चुके हैं। विभागीय सूत्र से पहले उन्होंने सरकार के पोर्टल और ढांचागी विभागों की भी जानकारी ली थी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, इन्होंने विभागों से इस पूरे की जानकारी दो दिनों में उपलब्ध कराने को भी कहा है। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया तय होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अब जिलेवार होगी जवाबदेही



मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नई दिल्ली में मुख्यमंत्री महाराष्ट्रियों की बैठक लेते हुए। उनके साथ हैं उप सभापति सतीश पोगाट उदय • सौजन्य सैनी/एक्स

राज्य ब्यूरो जागरण • चंडीगढ़ : सरकार की घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और उनकी समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री समन्वय प्रकोष्ठ (सीएमसी) की शुरुआत की। इसके तहत सभी घोषणाओं की जिलेवार समीक्षा की जाएगी। इसके लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा, हर घोषणा के लिए एक विभागीय अधिकारी को भी जिले के साथ जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य घोषणाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी तय करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएमसी के माध्यम से घोषणाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी। इसके लिए हर महीने की 15 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी। इसमें संबंधित जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इसके अलावा, हर तिमाही में एक बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री खुद सभी जिलों के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। इसका उद्देश्य घोषणाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना है।

गरीबों को निजी अस्पतालों में नहीं मिल रहा रियायती इलाज : सुरजेवाला

बरौंदा : कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि निजी अस्पतालों को नियमों के उल्लंघन पर जर्माना तो लगाया है, लेकिन गरीब मरीजों को रियायती इलाज नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबों के लिए है, लेकिन अस्पताल इसका लाभ नहीं दे रहे हैं।

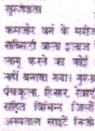

रणदीप सिंह सुरजेवाला

सुरजेवाला ने कहा कि कई निजी अस्पतालों को नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना तो लगाया है, लेकिन गरीब मरीजों को रियायती इलाज नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबों के लिए है, लेकिन अस्पताल इसका लाभ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीबों को उनका हक मिले।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीबों को उनका हक मिले।

सीएम के आश्वासन पर आयुष्मान सेवाएं रोकने का फैसला आइएमए ने वापस लिया

राज्य सूचना जागरण ब्यूरो • करौंदा : आयुष्मान योजना के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों को भुगतान में हो रही देरी और अन्य परिचालन संबंधी दिक्कतों को लेकर 16 सितंबर से आयुष्मान सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए रोकने का फैसला आइएमए संगठन ने लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हस्तक्षेप और लंबित भुगतान जारी करने के आश्वासन के बाद यह निर्णय लिया गया। आइएमए हरियाणा की अध्यक्ष डा. सुकैना खेमेरे, महासचिव डा. जोगेंद्र लिंडल और अंडरसेक्रेटरी डा. देवपाल डा. अनंत महाजन ने कहा कि संसद सदस्य मीनाक्षी लेखी द्वारा सहमति मिलने के बाद ही हड़ताल को वापस लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री कृष्ण बेदी ने हड़ताल को समाप्त कराने में अहम भूमिका निभाई है। डॉ. अर्पण गुप्ता ने धन्यवाद दी।

मुख्यमंत्री ने पैनल में शामिल अस्पतालों को समयबद्ध रूप से भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एक विशेष टीम गठित की गई है, जो लंबित दावों की समीक्षा करेगी। आइएमए ने हड़ताल के दौरान सहयोग करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री कृष्ण बेदी का धन्यवाद किया है।



हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री कृष्ण बेदी को आयुष्मान डा. अर्पण गुप्ता से मुलाकात करते हुए आईएमए हरियाणा के पदाधिकारी • प्रेमी ट्रांसफर

प्रदेश के दो जिलों में वर्षा का यलो अलर्ट

जागरण संवाददाता, हिसार : मौसम विभाग के अनुसार 16 से 18 अगस्त के दौरान हरियाणा में मध्यम से सक्रिय मौसम के साथ ही व्यापकतर और अंबाला में जगों का यलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के बाकी जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन से हो सकती है। मौसम में बदलाव के चलते तापमान में भी कमी आई है। अगले तापमान 36 डिग्री सेल्सियस या इससे कम रह सकता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात के फिर से सक्रिय होने के कारण अलग-अलग जगहों पर कहीं तो कहीं हल्की से मध्यम से कम कहीं हुई है। मौसम विशेषज्ञों ने पूर्वानुमान को भी अब आने वाले दिनों में कम से कम दो दिनों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पिछले सात के दौरान 11 जगहों पर 100 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है। कुछ जगहों पर 200 मिमी से अधिक बारिश हुई है।

जन्मदिन मनाने मोरनी गए चंडीगढ़ के युवकों की कार खाई में गिरी, एक की मौत

संवाद जागरण मोरनी : चंडीगढ़ से पेरनी जन्मदिन मनाने जा रहे चंडीगढ़ के युवकों की कार 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हुए हैं। मृतक की पहचान विशाल निवासी ओल्ड एयरपोर्ट रोड अलावला पंडौरा के रूप में हुई है। सभी घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य को मामूली चोटें आई हैं।

पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को बाहर निकाला। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। वहीं घायलों में से एक युवक को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि दुर्घटना कैसे हुई।

फ्लैट में ले जाकर पड़ोसी ने 11 वर्षीय बच्ची से किया दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : सेक्टर 8 पुलिस चौकी क्षेत्र में एक 11 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म कर दिया। आरोपित पड़ोसी बच्ची को खेलने के बहाने अपने फ्लैट पर ले गया था और कमरे का दरवाजा बंद कर बच्ची के साथ गलत काम किया। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता मां ने पुलिस को बताया कि बेटी 7 सितंबर को सुबह करीब 9:30 बजे उसकी 11 वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। कुछ देर बाद उसकी बेटी को बुलाने गई, लेकिन वह वहां नहीं मिली। पत्नी ने बच्ची को फोन लेकर आसपास तलाश की। कुछ समय बाद पड़ोसी अपने फ्लैट से बाहर निकलता दिखा। वहां काफी देर तक पड़ोसी के फ्लैट से आवाजें आईं। वह पत्नी ने उससे पूछा कि वह अंदर क्या कर रहा था और उसकी बेटी कहां है। इस पर पड़ोसी ने कहा कि बच्ची उसके पास है। लेकिन कपड़े ठीक न करने के कारण उसे संदेह हुआ। वह पड़ोसी के फ्लैट के बाहर शोर मचाने लगी। घटना के बाद बच्ची ने घबराई हुई थी। उसने मां को घटना के बारे में बताया। इसके बाद पीड़िता के परिजन थाना सेक्टर 8 पहुंचे और पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

पुत्र को पार करते समय आई ट्रेन, पति बच्चों संग नीचे कूदा, पत्नी की मौत

जागरण संवाददाता, यमुनानगर: पश्चिमी यमुना नहर पर बने रेलवे पुल को पार करने हुए एक परिवार ट्रेन की चपेट में आ गया। पति जो बच्चों ने साइड में कूदकर अपनी जान बचाई लेकिन उनकी पत्नी की पीछे पर से ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। उनके दो बच्चे घायल हो गए।

मृतका की पहचान बिहार के जिला बेगूसराय के गांव बनकटौर निवासी 40 वर्षीय अंजिता देवी के रूप में हुई है। उनका 12 वर्षीय बेटा व 9 साल वर्षीय बेटी भी घायल हुए हैं। अंजिता देवी व उनका पति गंगाधर कोसियां थाना क्षेत्र अहरा में अपने तीन बच्चों के साथ रहते थे। गंगाधर दो माह पहले ही बिहार से वापस आया है और पलवीड़ पैकरी में काम करता है। कुछ समय पहले ही उन पत्नी व बच्चों के साथ बिहार से अपने गांव गया था। मंगलवार को वह ट्रेन से वापस लौटे।

गंगाधर ने मिलकारी के अनुसार वे जब रेलवे पुल से ही पार करने लगे। तभी जम्मूतवी से सहारनपुर की ओर जाने वाली रेलवे स्टेशन पर अचानक ट्रेन आ गई। ट्रेन की आवाज सुनकर वह और उनकी पत्नी कूद गई। जबकि बच्चे पुल पर ही गिर गए। पत्नी ट्रेन की चपेट में आ गई। उनके सिर में गंभीर चोट आई। उन्हें तुरंत जगाधरी के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घायल बच्चों का इलाज चल रहा है। जीआरपी चौकी प्रभारी एसआई सतबीर सिंह ने बताया कि रेलवे पुल से आवा पत्नी हुई। मामला दर्ज कर लिया गया है।

हरियाणा सरकार विज्ञापनदाता सूचना

क्र. सं.	विज्ञापन एजेंसी का नाम	कार्य/सेवा का संक्षिप्त विवरण	टेंडर/ई-बिड जारी करने की तिथि	टेंडर/ई-बिड जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	टेंडर/ई-बिड खोलने की तिथि एवं समय	टेंडर दस्तावेज प्राप्त करने का पोर्टल
1.	हरियाणा विद्युत नियामक आयोग, पंचकूला	आयोगकार्य की आपूर्ति में पद के सम्बंध में ऑनलाइन आवेदन 2 वर्ष के लिए अनुबंध पर सेवानिवृत्त (सरकारी/पीएसयू) फोटो खींच गोपनीयता की आपूर्ति सम्बंध और पद्धति कार्य के लिए विधि अधिकार सूचना।	14.09.2026 28.09.2026	3,00,00,000/-	www.herc.org.in	8923220820 equipment@gmail.com
2.	हरियाणा विद्युत नियामक आयोग, पंचकूला	आयोगकार्य की आपूर्ति में पद के सम्बंध में ऑनलाइन आवेदन 2 वर्ष के लिए अनुबंध पर सेवानिवृत्त (सरकारी/पीएसयू) फोटो खींच गोपनीयता की आपूर्ति सम्बंध और पद्धति कार्य के लिए विधि अधिकार सूचना।	14.09.2026 21.09.2026	15,00,340/-	www.hercl.org.in	9929 3996 25 equipment@gmail.com gov.all.com

PRDR-412007/00/0717/17-6

आगामी जानकारी के लिए कृपया पंजीकरण पर जाएं : www.haryanaprocurement.gov.in or www.chandigarh.haryanaprocurement.gov.in

हरियाणा विद्युत नियामक आयोग
बेज नंबर 33-36, सेक्टर - 4, पंचकूला - 134 109
टेलीफोन नंबर 0172-2582531; वेबसाइट : http://herc.org.in

सार्वजनिक सूचना

विज्ञापनार्थ : आप जनता से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 (5) (i) और (ii) के तहत शिकायत निवारण फोरम/आपूर्तिकर्ता आयोग की जाती है, जिसे HERC (विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल) विनियम, 2016 के विनियम 3, 8, 9, 10 और 11 तथा HERC (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2014 के विनियम 14, 16 और 17 के साथ पढ़ा जाए। यह याचिका शिकायतकर्ता/उपभोक्ता/विद्युत लाइसेंसधारी द्वारा उस आदेश को रद्द करने की मांग करती है, जो एकल सदस्य पीठ द्वारा [illegible] के संबंध में पारित किया गया था। याचिकाकर्ता ने फोरम के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे फोरम ने खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने फोरम के आदेश को चुनौती देते हुए आयोग में अपील दायर की है।

सभी आम जनता/हितधारकों से अनुरोध है कि वे आयोग की वेबसाइट www.herc.org.in पर उपलब्ध ड्राफ्ट विनियम संख्या 28/2025 पर अपनी आपत्ति/सुझाव लिखित में, सेक्रेटरी, HERC, बेज संख्या 33-36, सेक्टर-4, पंचकूला-134112 को उपलब्ध करा दें या ड्राफ्ट द्वारा या ई-मेल के माध्यम से secretary.herc@herc.in पर प्रस्तुत करें। आपत्तियां/टिप्पणियां/सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30/09/2026 को शाम 05:30 बजे तक है। जन सुनवाई 05/10/2026 को सुबह 11:30 बजे आयोग के कोर्ट रूम में आयोजित की जाएगी।

सचिव
PRDR-1243/11/477/2027-28/HERC/676

गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा (रजि.), रोहतक
आवश्यकता सूचना
सभी को सूचित किया जाता है कि आवेदन करने हेतु अंतिम तारीख 15 अगस्त थी, जिसे अब बढ़ाकर 1,000/- रु० लेट फीस के साथ 31 अगस्त कर दिया गया है। अब अंतिम तारीख 15.10.2026 रखी गई है। 1,000/- रु० लेट फीस के साथ आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त रखी गई है। आवेदन उसी तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे, जो पूर्व में घोषित की गई थी। आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल www.gbvidyasabha.org पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से भरे गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय समय में संपर्क करें।
सचिव / कोषाध्यक्ष
गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा (रजि.), रोहतक
PRDR-1243/11/477/2027-28/HERC/676

दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
मुरथल, सोनीपत-131039 हरियाणा (भारत)
ऊंची और पर्यावरण अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र
विज्ञापन संख्या 17/2026
एनआईटीआई-आरएचएस 2025: नैय टू फार्वर्ड परियोजना के तहत परियोजना सहयोगी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका शीर्षक है 'ग्रामीण कार्बन न्यूट्राइड अधारित नैनोसैनिटेशन्स के स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरणीय अनुप्रयोग सतत विकास की दिशा में'। स्थिट्ट रूप से अस्थायी आधार पर। आवेदन अधोहस्ताक्षरी के पास 21 सितंबर 2026 तक पहुंच जाने चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://www.dcrustm.ac.in पर जाएं।
डॉ. एस. पी. नेगरा
प्रधान अन्वेषक
PRDR-1249/11/0327/2027-28/ENVL/676

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, (हिसार)
ई-निविदा संख्या 129 दिनांक 02.09.2026 धारा 127(6) जारी
प्रकाशन हिसार :
पत्र क्रमांक नं. - 2713-5A दिनांक 13.09.2026 जारी प्रकाशन हिसार :
नाम: सुपर फाई राजन कुमार
पता: गांव सुलेखता जिला हिसार
सुपरवाइज की पहचान: एक फोन, सौम्य चेहरा, हल्का पूरा शरीर, गुलाबी रंग की कमीज और काली पैंट
कार्य: [illegible] 124 से 129



पुलिस अधीक्षक
PRDR-1249/11/0339/2027-28/ENVL/676

All India Jat Heroes' Memorial (AIJHM) College Rohtak
JE&DE/Advert/096 dated 16-09-2026
[Haryana Govt. Aided, Affiliated to M. D. University, Rohtak and Run & Managed by Jat Education Society (Regd.) Rohtak]
Website: https://jatcollegerohtak.ac.in
Email: ajhmcollegerohtak@gmail.com | Phone no: +91-9050009182
Advertisement for the Post of PRINCIPAL
For Online portal and more details visit college website.
Portal Opening Date: 19.09.2026
Portal Closing Date & Time: 07.10.2026 (till 5:00 PM IST)
Online applications are invited from eligible candidates for appointment to the vacant post of Principal (General) at AIJHM College, Rohtak, on a regular basis against a Grant-in-Aid post sanctioned by the Government of Haryana, in the Pay Matrix of Academic Level 14 (₹1,44,200–₹2,18,200) under the 7thCPC.The eligibility conditions, age relaxation, reservation, qualifications, pay scale, and selection criteria shall be as per the latest applicable norms and guidelines issued by the UGC, M.D. University, Rohtak, the State Government, and the Director General Higher Education, Haryana, Panchkula, with reference to the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Rules, 2005, and the notifications dated 11.11.2022, 12.12.2022, and 18.04.2023.
Eligibility:
The applicant shall possess the following qualifications and experience:
(i) Ph.D. degree.
(ii) Professor/ Associate Professor with a total service/ experience of at least 15 years of teaching/research in Universities, Colleges, and other institutions of higher education.
(iii) A minimum of 10 research publications in peer-reviewed or UGC-listed journals.
(iv) Minimum Research Score of 110 as per Appendix II, Table 2
Submission of Application:
Applications shall be submitted only through the online application portal, along with a non-refundable application fee of ₹1,000/- for candidates belonging to the General Category and ₹250/- for SC/BC candidates of Haryana. No application shall be entertained if submitted solely through e-mail, post, courier, or by hand. After successful submission of the online application, the hard copy of the complete downloaded PDF application form, along with all supporting documents, must be submitted separately to each of the following three offices and must reach the respective office on or before 2:00 PM IST on 7 October 2026: (i) The Director General, Higher Education, Bibasha Sadan, Sector-5, Panchkula, Haryana; (ii) The Dean, College Development Council, M. D. University, Rohtak; and (iii) The Office of the President, Governing Body, AIJHM College, Rohtak.
No Objection Certificate (NOC) from the present employer must be attached. Applications found incomplete and/or received after last date will not be considered.
Gulab Singh, President,
Governing Body AIJHM College Rohtak

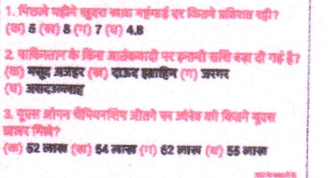

1. पिछले महीने खुदरा स्तर महंगाई दर कितने प्रतिशत रही?
(क) 5 (ख) 8 (ग) 7 (घ) 4.8

2. पाकिस्तान के किस आतंकवादी पर इनामी राशि बढ़ा दी गई है?
(क) मसूद अजहर (ख) राउफ इलाहिम (ग) जगर
(घ) अबदउल्लाह

3. पुरुष ओपन वॉलिबॉलिंग ओलंपे पर ओलंपे की किसने पुरुस्कार जिते?
(क) 62 लाख (ख) 54 लाख (ग) 62 लाख (घ) 55 लाख



All India Jat Heroes' Memorial College Rohtak
Principal

Gmail JAT EDUCATIONAL SOCIETY ROHTAK <jesrohtak1914@gmail.com>

Fwd: Regarding publication of advertisement on 16th September 2026, to invite applications for the vacant post of Principal (General) at AIJHM College, Rohtak on a regular basis against a Grant-in-Aid post sanctioned by the Government of Haryana

1 message

JAT EDUCATIONAL SOCIETY ROHTAK <jesrohtak1914@gmail.com> Tue, Sep 22, 2026 at 1:12 PM
To: "dir.ucc@mdurohtak.ac.in" <dir.ucc@mdurohtak.ac.in>

To
The Director UCC
Mdu Rohtak
Subject : Request for Publication at MDU Website.
Respected Sir.
Plz Find the copy of Advertisement for the post of Principal (General) at AIJHM College, Rohtak on a regular basis against a Grant-in-Aid post sanctioned by the Government of Haryana, in the Pay Matrix at Academic Level 14 (₹1,44,200–₹2,18,200) under the 7th CPC (**Annexure-1**).

In this regard, advertisement has been published in three newspapers- *Dainik Bhaskar, Dainik Jagran* and The Tribune, on 16-09-2026 (*i.e.* today). Photocopies of the newspaper sections are attached herewith (**Annexure-2, 3 & 4**). Also, the said advertisement has been displayed on College Website (***Annexure-5***).

Submitted for your kind perusal and necessary information.

Thanks and regards

President

Enclosures:
1. Approval by DGHE- ***(Annexure-1)***
2. Copy of Advertisement- ***(Annexure 2, 3 & 4)***
3. Screen-shot of College Website ***(Annexure-5)***

---------- Forwarded message ---------
From: **JAT EDUCATIONAL SOCIETY ROHTAK** <jesrohtak1914@gmail.com>
Date: Wed, Sep 16, 2026 at 1:54 PM
Subject: Regarding publication of advertisement on 16th September 2026, to invite applications for the vacant post of Principal (General) at AIJHM College, Rohtak on a regular basis against a Grant-in-Aid post sanctioned by the Government of Haryana
To: <dean.cdc@mdurohtak.ac.in>, Colleges Branch <collegesbranch@mdurohtak.ac.in>
Cc: Principal Jat College Rohtak <aijhmcollegerohtak@gmail.com>

Respected Sir,

With reference to the letter no. 8/05-2022 C(IV) (1) dated 20/08/2026 on the subject cited above, it is informed that the approval was granted by the DGHE, Haryana to fill up the vacant post of Principal (General) at AIJHM College, Rohtak on a regular basis against a Grant-in-Aid post sanctioned by the Government of Haryana, in the Pay Matrix at Academic Level 14 (₹1,44,200–₹2,18,200) under the 7th CPC (**Annexure-1**).

In this regard, advertisement has been published in three newspapers- *Dainik Bhaskar, Dainik Jagran* and The Tribune, on 16-09-2026 (*i.e.* today). Photocopies of the newspaper sections are attached herewith (**Annexure-2, 3 & 4**). Also, the said advertisement has been displayed on College Website (***Annexure-5***).

Submitted for your kind perusal and necessary information.

Thanks and regards

President

Enclosures:
1. Approval by DGHE- ***(Annexure-1)***
2. Copy of Advertisement- ***(Annexure 2, 3 & 4)***
3. Screen-shot of College Website ***(Annexure-5)***

JES-26-JCR-592 dt. 16.09.2026.pdf
10047K

Email: jesrohtak1914@gmail.com

Office of the

JAT EDUCATION SOCIETY (REGD.)

Rohtak-124001 (Haryana)

Established in 1912

President	Vice President	Gen. Secretary	Treasurer
Gulab Singh (Dimana)	**Dharamraj**	**Navdeep**	**Sudhir**
+91 9896230099, +91 8059509004	+91 9991199441	+91 9215558008	+91 8053063000

Ref. No JES/2026/JCR/628 Dated 09/10/2026

To

The Superintendent (Colleges)
For Assistant Registrar (Colleges)
M.D. University, Rohtak

Subject: Submission of Copies of Advertisements Published in *Dainik Bhaskar, Dainik Jagran and The Tribune* dated 16/09/2026

Sir,

With reference to your office letter No. CB-VII/AIJHM/2026/8153 dated 28/09/2026 on the subject cited above, the duly attested copies of the advertisements published in *Dainik Bhaskar, Dainik Jagran and The Tribune* on 16/09/2026 are enclosed herewith as Annexures I, II and III, respectively.

Further, the proof of uploading the advertisements on the College website is enclosed as Annexure IV, and the proof of forwarding the advertisements to the Director, UCC, for uploading on the University website is enclosed as Annexure V.

This is submitted for your information and record, please.

President
Governing Body
All India Jat H.M. College
Rohtak

...EAR CAPITAL CHOWK, AMBALA CANTT, HARYANA-133001

...emand Notice is hereby given under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of ...ial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) read with rule 3 of the Security ...t (Enforcement) Rules, 2002 here in after calling upon the under mentioned Borrowers / Guarantors to ...the Amounts outstanding for the Credit / facilities granted to them / on their Guarantees, within 60 days ...e date of this Notice. If you fail to repay to the LIC Housing Finance Ltd. the below mentioned amount ...rther interest and incidental expenses, costs etc. in terms of this notice u/s 13(2) of the Act, the LIC ...g Finance Ltd. will exercise all or any of the rights detailed under Sub-Section (4) of Section 13 and ...other applicable provisions of the said Act. You are also put on notice that in terms of sub-section 4 of ...n 13 you shall not transfer by sale, lease or otherwise the said secured assets detailed below of this ...without obtaining written consent of the LIC Housing Finance Ltd. The details of the account and ...d Assets along with Amount Outstanding is given below:-

SCHEDULE OF THE IMMOVABLE PROPERTY & OTHER DETAILS

Name of Borrower and Guarantor	Description of the Secured Assets	NPA Date Date of Demand Notice Amount as per Demand Notice
...ccount No.: 311900000952 . Gurdeep Singh S/o Mr. Sujan Singh ...cant), House No. 0 C, Ward No. 3/5, ...dhary Colony, Near Chhita Mandir, ...nanagar, Haryana - 135001 (2) Mr. ... Singh S/o Mr. Gurdeep Singh (Co- ...ant), House No. 0 C, Ward No. 3/5, ...dhary Colony, Near Chhita Mandir, ...nanagar, Haryana - 135001 (3) Mrs. Bhupinder Kaur W/o Mr. Gurdeep Singh (Co-Applicant), House ...C, Ward No. 3/5, Choudhary Colony, Near Chhita Mandir, Yamunanagar, Haryana - 135001 (4) Mrs. ...vinder Kaur D/o Mr. Inderjeet Singh (Guarantor), House No. 40, Choudhary Colony, Yamunanagar, ...na - 135001. Property Address:- Mr. Gurdeep Singh, Mr. Prince & Mrs. Bhupinder Kaur, Property No. ...72, Khasra No. 63, Azad Nagar, Chaudhary Colony, Yamunanagar, Haryana - 135001.	Equitable mortgage by deposit of title deed no. 6838 Dated 16.01.2014 over immovable property situated at Property No. B-4/2172, Khasra No. 63, Mauja Mukda Majra, Azad Nagar, Chaudhary Colony, Tehsil Jagadhri, Yamunanagar, Haryana - 135001, having area 80 Sq. Yards, hereinafter referred to as secured asset.	10.01.2020 31.08.2026 Rs. 29,44,359.38 with interest & other charges

...rrower's attention is invited to provisions of Sub- Section 13 of Act, in respect of time available, to ...the secured assets.

...Ambala
...3.09.2026

AUTHORISED OFFICER,
LIC HOUSING FINANCE LTD.

Fkot schools sparks panic

...MANDEEP SINGH SARAI

A bomb threat sent via email to six schools in Faridkot district on Tuesday morning sent the police into a tizzy, prompting a massive search operation.

No objectionable item was recovered from any of the schools during the search.

A similar threat was received by the SDM office and five private schools in Jalalabad. The threats triggered panic among school authorities and parents.

In Faridkot, two separate emails were received around 10.15 am. The first email threatened to blow up Kendriya Vidyalaya, Delhi International School and Jawahar Navodaya Vidyalaya. Later, a second email threatened Mahatma Gandhi Memorial School, Mount Litera Zee School and St Mary's School.—TNS

All India Jat Heroes' Memorial (AIJHM) College Rohtak

JES/26/Advert/590 dated 16-09-2026

[Haryana Govt. Aided, Affiliated to M. D. University, Rohtak and Run & Managed by Jat Education Society (Regd.) Rohtak]

Website: https://jatcollegerohtak.ac.in

Email- aijhmcollegerohtak@gmail.com | Phone no. +91-9992000182

Advertisement for the Post of PRINCIPAL

For Online portal and more details visit college website.

Portal Opening Date: 16.09.2026

Portal Closing Date & Time: 07.10.2026 (till 5:00 PM IST)

Online applications are invited from eligible candidates for appointment to the vacant post of Principal (General) at AIJHM College, Rohtak, on a regular basis against a Grant-in-Aid post sanctioned by the Government of Haryana, in the Pay Matrix at Academic Level 14 (₹1,44,200–₹2,18,200) under the 7th CPC. The eligibility conditions, age relaxation, reservation, qualifications, pay scale, and selection criteria shall be as per the latest applicable norms and guidelines issued by the UGC, M.D. University, Rohtak, the State Government, and the Director General Higher Education, Haryana, Panchkula, with reference to the Haryana Affiliated Colleges (Security Service) Rules, 2006, and the notifications dated 11.11.2024, 12.12.2022, and 18.04.2023.

Eligibility:

The applicant shall possess the following qualifications and experience:

(i) Ph.D. degree.

(ii) Professor/ Associate Professor with a total service/ experience of at least 15 years of teaching/research in Universities, Colleges, and other institutions of higher education.

(iii) A minimum of 10 research publications in peer-reviewed or UGC-listed journals.

(iv) A minimum Research Score of 110 as per Appendix II, Table 2

Submission of Application:

Applications shall be submitted only through the online application portal, along with a non-refundable application fee of ₹1,000/- for candidates belonging to the General Category and ₹250/- for SC/BC candidates of Haryana. No application shall be entertained if submitted solely through e-mail, post, courier, or by hand. After successful submission of the online application, the hard copy of the complete downloaded PDF application form, along with all supporting documents, must be submitted separately to each of the following three offices and must reach the respective office on or before 5:00 PM IST on 7 October 2026: (i) The Director General, Higher Education, Siksha Sadan, Sector-5, Panchkula, Haryana; (ii) The Dean, College Development Council, M. D. University, Rohtak; and (iii) The Office of the President, Governing Body, AIJHM College, Rohtak.

No Objection Certificate (NOC) from the present employer must be attached. Applications found incomplete and/or received after last date will not be considered.

Gulab Singh, President,
Governing Body
All India Jat H.M. College
Rohtak

Model Economic Township Limited

Registered Office: 3rd Floor, 77-B, IFFCO Road, Sector-18, Gurugram - 122015, Haryana; Phone: 0124-352 7369
CIN: U70109HR2006PLC036419

PUBLIC NOTICE

HRERA Real Estate Project Registration Certificate No. HRERA-PKL-JJR-6-2018 Dated 27.04.2018 & Registration Certificate No. HRERA-PKL-JJR-195-2020 Dated 19.03.2020

General public is hereby informed that, we, Model Economic Township Limited, have been granted Certificate of Supplementary Registration No. HRERA-7795 Dated 11.09.2026 for our industrial plotted project, namely "Model Economic Township" (having total area 580.722 acres + 49.086 acres - 1.262 acres = 628.546 acres) by the Haryana Real Estate Regulatory Authority, Panchkula, forming part of industrial plotted colony on State Highway # 15A, situated at Village Dadri Toe, Bir Dadri, Yakubpur & Sondhi, Tehsil Badli, District Jhajjar (Haryana), bank account details of the Project are as under:

Account Name	:	Account Number
Model Economic Township Ltd - 100% Master Account (Collection Account)	:	459405000047
Model Economic Township Ltd - 70% Escrow Account (Project Account)	:	459405000049
Model Economic Township Ltd - 30% Free Account	:	777705005433
Account Type	:	Current Account
Bank Name	:	ICICI Bank Limited
Bank Branch Address	:	Reliance Mer Ltd, Sector 5, Village Dadri Toye, On SH 15A, Jhajjar Haryana 124515
IFSC Code No.	:	ICIC0004594

This notice is issued in compliance of the directions issued by the Haryana Real Estate Regulatory Authority, Panchkula.

Date: 15.09.2026

For Model Economic Township Limited
Authorized Signatory

The Tribune
Page no. 6

Form No. 3 (See Regulation 13(1)(a))

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993
Exh. No. 31965 Case No. OA/376/2026

HDFC Bank Vs Amit Kumar and Others

1. Mohinder Singh S/o Balip Singh S/o House No. 2069, Sector 19, Chandigarh

WHEREAS, OA/376/2026 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 18.07.2026

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summoning notice on the said application under section 19(4) of the Act, duly filed against you for recovery of Rupees of Rs. 31,38,276/- (Application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendant(s) are directed to under:

(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted;

(ii) to state the particulars of properties or assets, other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application;

(iii) you are restrained from disposing with or dispersing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;

(iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;

(v) you shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets;

You are also directed to file the written statement within 2 (two) thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 17/09/2026 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date 20.07.2026

Sd/-
Signature of the officer Authorised to issue Summons.

Form No. 3 (See Regulation 13(1)(a))

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993
Exh. No. 31966 Case No. OA/389/2026

HDFC Bank Vs Jagdeep Singh and Others

1. Shri Jagdeep Singh S/o Shri Randhir Singh R/o 9 Lake Road, Naraen Singh Park, Panipat, Haryana 132103
2. Smt. Manju W/o Shri Jagdip Singh R/o 9 Lake Road, Naraen Singh Park, Panipat, Haryana 132103

WHEREAS, OA/389/2026 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 18.07.2026

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summoning notice on the said application under section 19(4) of the Act, duly filed against you for recovery of Rupees of Rs. 66,49,611/- (Application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendant(s) are directed to under:

(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted;

(ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application;

(iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;

(iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;

(v) you shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets;

You are also directed to file the written statement within 2 (two) thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 17/09/2026 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date 20.07.2026

Sd/-
Signature of the officer Authorised to issue Summons.

Channi, Warring share stage in Pilot's unity push at Cong protest

RAJNEET SINGH
TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, SEPTEMBER 15
Seeking to end months of internal friction within the Punjab Congress, former CM and Jalandhar MP Charanjit Singh Channi and Punjab Congress president Amrinder Raja Warring today shared the stage in the presence of newly appointed Punjab affairs in-charge Sachin Pilot during a protest held at Punjab Congress Bhavan here.

On his maiden visit to Punjab after being assigned the new job – Pilot was greeted by an impressive show of strength put together by leaders from different factions. In a public display of unity and to give a wider message to the party's rank and file, Pilot made Channi and Warring join hands on the stage, though the unease between the two leaders was evident.

Addressing the gathering, Warring mentioned Channi and senior leader Sukhjinder Singh Randhawa. As Channi's name was announced from the stage, party workers raised slogans in his support. Channi, however, did not mention Warring during his speech. The friction threatens to hurt the Congress' electoral prospects in the upcoming Assembly elections.

The Congress protest march towards the residence of Finance Minister Harpal Cheema over the alleged suicide of Gulzar Singh was stopped midway. The Chandigarh Police used water cannons before taking Pilot, Warring, Leader of Opposition Partap Bajwa and other leaders into preventive custody. However, the event brought the faction-ridden Punjab Congress together as all top state leaders shared the stage in the presence of Pilot. A senior leader said Pilot's visit signalled an attempt to broker peace among the party's state leaders and indicated his broad acceptance across rival factions. His predecessor Bhupesh Baghel was accused of siding with Warring. Treading a cautious path, Pilot was seen interacting with all leaders equally. Even the protest march was held under the banner of Pilot and not in the name of any state leaders.

Addressing the gathering, Pilot demanded an independent probe into the death of Gulzar Singh and the inclusion of Cheema's name in the FIR. Lashing out at the AAP government over Gulzar's death, he said the issue of the drug menace had reached alarming levels. "We have no personal enmity with Cheema sahib. But you are sitting in office, you are the Finance Minister. A man is taking his life and making a video saying that 'I am taking my own life because of this person'. Does the law not say that there should be an investigation, there should be an FIR?" asked Pilot.

He claimed AAP had not fulfilled any of its poll promises and worked to push Punjab into the "black darkness of drugs". "Today, 'chitta' (synthetic drugs) is being delivered home. You make a phone call and it is reaching every home. What to speak of a Dalit Deputy CM, the Dalits like Gulzar Singh are forced to commit suicide under the AAP regime," Pilot charged.

Among those present included Brahm Mohindra, Vijay Inder Singla, Rana KP Singh, Dr Amar Singh, Sukhpal Singh Khaira, Rana Gurjeet Singh, Gurjeet Singh Aujla, Bharat Bhushan Ashu, Dr Raj Kumar Verka, Sukhminder Danny, Sangat Singh Gilzian, Kuljit Singh Nagra, Amarpreet Lally, Lakhvir Singh Lakha, Baltoir Singh Sidhu, Amit Vij, Pawan Adia, Sukhbinder Singh Sarkaria, Inderbir Bolaria, Gurkirat Singh, Baljit Kaur and others.


Congress workers and leaders during a protest in Chandigarh on Tuesday. TRIBUNE

Canada deports four over extortion links

CHANDIGARH, SEPTEMBER 15
Canadian authorities have deported four Punjab-origin persons over their alleged links to organised crime, including extortion-related violence.

The Canada Border Services Agency (CBSA) said Palwinder Singh, Jasmer Singh, Amitoj Bajwa and Sahibjot Singh were found inadmissible under the Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) for links to criminal organisations or serious criminality.

Each case involved extortion-related violence or offences linked to organised crime. All four were deported following rulings by the Immigration and Refugee Board of Canada.

CBSA data shows that, as of September 3, 2026, 138 removal orders had been issued nationwide on various inadmissibility grounds, with 111 individuals removed. By region, 91 removal orders and 58 removals were recorded in the Pacific region, 47 orders and 30 removals in the Prairies, and 50 orders and 23 removals in the Greater Toronto Area.

Public Safety Minister Gary Anandasangaree said the removals highlighted Canada's commitment to disrupting extortion and organised crime through collaboration with law enforcement agencies. CBSA President Erin O'Gorman said more than 100 removals linked to extortion demonstrated the impact of coordinated enforcement. — TNS

AAP counters Cong, raises anti-Sikh riots

CHANDIGARH, SEPTEMBER 15
The Aam Aadmi Party (AAP) on Tuesday slammed the Congress for exploiting tragedies for political gains while refusing to answer questions about its own record. It said Punjab had not forgotten the 1984 anti-Sikh riots, the pain of which continued to be carried by families across generations, and questioned why Congress leaders still avoided accountability on the issue.

AAP said Gulzar Singh's death was tragic and the matter should be investigated thoroughly, but Congress leaders should not turn the grief of a family into a political ladder. The party said the investigation was underway and the law should take its course, while questioning Punjab Congress affairs in-charge Sachin Pilot's attempt to use the matter for political headlines instead of allowing the investigation to proceed. Punjab AAP president and Cabinet Minister Aman Arora said, "Punjab has not forgotten 1984, and it will not forgive the Congress; 42 years on, the pain is just as real. Every time Congress leaders dodge questions and run from accountability, they show complete contempt for Punjab."

Finance Minister Cheema said questioned the Congress over its continued silence on the issue. "Why is there a fear about 1984 in the Congress," he said.—TNS

LIC HOUSING FINANCE LTD.
JEEVAN JYOTI BUILDING, 1ST FLOOR, JAGADHARI ROAD, NEAR CAPITAL CHOWK, AMBALA CANTT., HARYANA - 133001

DEMAND NOTICE 13(2) OF SECURITISATION ACT 2002

This Demand Notice is hereby given under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 here in after calling upon the Under mentioned Borrowers / Guarantors to repay the Amounts outstanding for the Credit Facilities granted to them / on their Guarantee, within 60 days from the date of this Notice. If you fail to repay to the LIC Housing Finance Ltd. the below mentioned amount with further interest and incidental expenses, costs etc in terms of this notice u/s 13(2) of the Act, the LIC Housing Finance Ltd. will exercise all or any of the rights detailed under Sub-Section (4) of Section 13 and under other applicable provisions of the said Act. You are also put on notice that in terms of sub-section 4 of Section 13 you shall not transfer by sale, lease or otherwise the said secured assets detailed below of this notice without obtaining written consent of the LIC Housing Finance Ltd. The details of the account and Secured Assets along with Amount Outstanding is given below.

SCHEDULE OF THE IMMOVABLE PROPERTY & OTHER DETAILS

Name of Borrower and Guarantor	Description of the Secured Assets	NPA Date Date of Demand Notice Amount as per Demand Notice
Loan Account No.: 311900000962 (1) Mr. Gurdeep Singh S/o Mr. Sujan Singh (Applicant), House No. 0 C, Ward No. 3-5, Choudhary Colony, Near Chhiva Mandir, Yamunanagar, Haryana - 135001 (2) Mr. Prince Singh S/o Mr. Gurdeep Singh (Co-Applicant), House No. 0 C, Ward No. 3-5, Choudhary Colony, Near Chhiva Mandir, Yamunanagar, Haryana - 135001 (3) Mrs. Bhupinder Kaur W/o Mr. Gurdeep Singh (Co-Applicant) House No. 0 C, Ward No. 3-5, Choudhary Colony, Near Chhiva Mandir, Yamunanagar, Haryana - 135001 (4) Mrs. Bukhwinder Kaur D/o Mr. Inderjeet Singh (Guarantor), House No. 40, Choudhary Colony, Yamunanagar, Haryana - 135001 Property Address: Mr. Gurdeep Singh, Mr. Prince & Mrs. Bhupinder Kaur. Property No. B-4/2172, Khasra No. 63, Azad Nagar, Chaudhary Colony, Yamunanagar, Haryana - 135001	Equitable mortgage by deposit of title deed no. 66/36 Dated 18.01.2014 over immovable property situated at Property No. B-4/2172, Khasra No. 63, Maujo Munda Majra, Azad Nagar Chaudhary Colony Tehsil Jagadhri, Yamunanagar, Haryana - 135001, having area 80 Sq. Yards. hereinafter referred to as secured asset.	10.01.2020 31.06.2026 Rs. 29,44,366.38 with interest & other charges

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section 13 of Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

PLACE: Ambala
DATE: 15.09.2026

AUTHORISED OFFICER,
LIC HOUSING FINANCE LTD

Model Economic Township Limited

Registered Office: C-Place, 22 & 23, LSC, Okhla, New Delhi, Delhi-110020, Phone: 0124-4027100
CIN: U74999HR2008PLC038416

PUBLIC NOTICE

HRERA Real Estate Project Registration
Certificate No. HRERA-PKL-JJR-6-2018 Dated 27.04.2018 &
Registration Certificate No. HRERA-PKL-JJR-195-2020 Dated 19.03.2020

General public is hereby informed that M/s. Model Economic Township Limited, have been granted Certificate of Supplementary Registration No. HRERA-PKL-JJR-6-2018 Dated 11.04.2026 for un-sold and booked project, namely "Model Economic Township" admeasuring total area 550.722 acres i.e. 445.960 acres + 104.762 acres = 628.746 acres) by the Haryana Real Estate Regulatory Authority, Panchkula, situated at village Kheda Kalan on State Highway – 19A, located at Village Dadri Tehsil Bhiwani, Distt. Jhajjar & Sonalli, Tehsil Badli, District Jhajjar (Haryana). Bank account details of the Project are as under:

Account Name	Account Number
Model Economic Township Ltd - 100% Master Account (Escrow Account)	194[illegible]
Model Economic Township Ltd - 70% Escrow Account (Project Account)	4948[illegible]
Model Economic Township Ltd - 30% Free Account	5777[illegible]
Account Type	Current Account
Bank Name	ICICI Bank Limited
Bank Branch Address	Rajistar Mall Ltd, Sector 3, Village Dadri Exte, Ch SH 19A, Bhagat Haryana 124515
IFSC Code No.	ICIC[illegible]

This notice is issued in compliance of the directions issued by the Haryana Real Estate Regulatory Authority, Panchkula.

Date: 15.09.2026

For Model Economic Township Limited
Authorised Signatory

www.modeleconomictownship.com

Bomb threat to Jalalabad, F'kot schools sparks panic

FARIDKOT/FAZILKA, SEPT 15
A bomb threat sent via email to six schools in Faridkot district on Tuesday morning sent the police into a tizzy, prompting a massive search operation.

No objectionable item was recovered from any of the schools during the search.

A similar threat was received by the SDM office and five private schools in Jalalabad. The threats triggered panic among school authorities and parents.

In Faridkot, two separate emails were received around 10.15 am. The first email threatened to blow up Kendriya Vidyalaya, Delhi International School and Jawahar Navodaya Vidyalaya. Later, a second email threatened Mahatma Gandhi Memorial School, Mount Litera Zee School and St Mary's School.—TNS

Days after controversial ad, Punjabi driver held in US

MOHIT KHANNA
TRIBUNE NEWS SERVICE

CHANDIGARH, SEPTEMBER 15
US Immigration and Customs Enforcement (ICE) in Boston has arrested Satvir Singh, a truck driver of Punjab origin, during a targeted operation at a commercial vehicle inspection station in Hillsborough. Singh, who lived in New Jersey and worked as an interstate truck driver, was taken into custody on September 11.

In a post on X on Monday, ICE said Singh entered the US legally in 2017 but violated the terms of his admission by remaining in the country unlawfully for more than eight years. "Enforcement and Removal Operation (ERO) Boston will continue to keep our New England highways, streets, and communities safe," the agency said.

The arrest came a day after the Department of Homeland Security (DHS) removed a controversial digital advertisement that targeted undocumented truck drivers.

The AI-generated, Transformers-style poster, published on X, depicted a brown-bearded man with the tagline: "Get off our roads, you don't know how to drive, Mr Singh."

The campaign drew criticism from Indian-American and Sikh advocacy groups, who called it racist propaganda. Democratic leaders, including California Governor Gavin Newsom and Congressman Raja Krishnamoorthi, also criticised the campaign.

All India Jat Heroes' Memorial (AIJHM) College Rohtak.

JE&S/26/Advert/590 dated 16-09-2026
(Haryana Govt Aided, Affiliated to M. D. University, Rohtak and Run & Managed by Jat Education Society (Regd.) Rohtak)
Website: https://jatcollegerohtak.ac.in
Email: aimcollegerohtak@gmail.com | Phone no: +91-9992000182

Advertisement for the Post of PRINCIPAL

For Online portal and more details visit college website
Portal Opening Date: 16.09.2026
Portal Closing Date & Time: 07.10.2026 (till 5:00 PM IST)

Online applications are invited from eligible candidates for appointment to the vacant post of Principal (General) at AIJHM College, Rohtak, on a regular basis against a Grant-in-Aid post sanctioned by the Government of Haryana, in the Pay Matrix at Academic Level 14 (81,44,200-32,18,200) under the 7th CPC. The eligibility conditions, age relaxation, reservation, qualifications, pay scale, and selection criteria shall be as per the latest applicable norms and guidelines issued by the UGC, M.D. University, Rohtak, the State Government and the Director General Higher Education, Haryana Panchkula, with reference to the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Rules, 2006 and the notifications dated 11.11.2022, 12.12.2022, and 18.04.2023.

Eligibility:
The applicant shall possess the following qualifications and experience:
(i) Ph.D. degree
(ii) Professor/ Associate Professor with a total service experience of at least 15 years of teaching/research in Universities, Colleges, and other institutions of higher education
(iii) A minimum of 10 research publications in peer-reviewed or UGC-listed journals
(iv) Aminimum Research Score of 110 as per Appendix II, Table 2

Submission of Application:
Applications shall be submitted only through the online application portal, along with a non-refundable application fee of ₹1,000/- for candidates belonging to the General Category and ₹250/- for SC/BC candidates of Haryana. No application shall be entertained if submitted solely through e-mail, post, courier, or by hand. After successful submission of the online application, the hard copy of the complete downloaded PDF application form, along with all supporting documents, must be submitted separately to each of the following three offices and must reach the respective office on or before 5.00 PM IST on 7 October 2026: (i) The Director General, Higher Education, Siksha Sadan, Sector-5, Panchkula, Haryana; (ii) The Dean, College Development Council, M. D. University, Rohtak; and (iii) The Office of the President, Governing Body, AIJHM College, Rohtak.

No Objection Certificate (NOC) from the present employer must be attached. Applications found incomplete and/or received after last date will not be considered.

Gulab Singh, Preardang
Principal, AIJHM College, Rohtak

IN LOVING MEMORY OF OUR RESPECTED
Shri H.L. Vij Ji

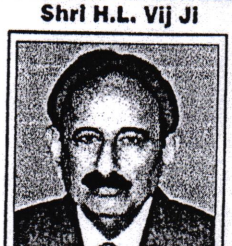

16th September 2024

Today, marks two years since the soul of our revered father departed for his heavenly abode. We remember his eventful life and exemplary legacy with deep respect and undiminished gratitude. We continue to cherish and foster his values, - his lifetime gift to all of us, which continues to show us the the path of righteousness. Our prayers always remain for the eternal peace for his soul in its new realm of serenity and Divinity.

DEEPLY MISSED AND REMEMBERED BY:

Madhu Sudan & Priyanka Vij	(Son & Daughter-in-Law)
Geeta & A.R. Tahsar	(Daughter & Son-in-law)
Radhika & Hemant Batra	(Daughter & Son-in-Law)
Veena & Ashmeet Tahsar	(Daughter & Son-in-law)
Ad Grand Chindrey	

Members of Modern Automobiles, Standard Services, Modern Automobiles Engineers, Ultimate Automobiles Pvt. Ltd., Excel Automotives Pvt. Ltd., Hindustan Garage

President
Governing Body
All India Jat H.M. College
Rohtak

पहचान के लिए हरियाणा सरकार पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाने जा रही है। पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में कुल 775 कैमरे लगाए जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 41 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि एएनपीआर कैमरों के जरिए पेट्रोल पंपों पर पहुंचने वाले वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान की जाएगी। इससे जीवन-अवधि पूरी कर चुके वाहनों को चिह्नित करने और पर्यावरणीय मानकों

116 कैमरे स्थापित होंगे। प्रदेश में कुल करीब 2,780 एएनपीआर कैमरों की आवश्यकता है। प्रथम चरण में एनसीआर के इन चार जिलों को शामिल किया गया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के अनुसार कैमरों की स्थापना 30 सितंबर 2026 तक पूरी करनी है। इसके बाद 1 अक्टूबर से हरियाणा में प्रदूषित जीवन-अवधि पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन की आपूर्ति नहीं की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे पुराने वाहनों की पहचान और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

आयुष्मान सेवाएं रोकने का फैसला वापस लिया

नईदिल्ली। प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों के भुगतान में देरी और अन्य दिक्कतों को लेकर आईएमए ने 16 सितंबर से आयुष्मान योजनाएं अनिश्चित काल के लिए रोकने का निर्णय लिया था। अब आईएमए ने इसे वापस ले लिया है।

All India Jat Heroes' Memorial (AIJHM) College Rohtak

JES/26/Advert/590 dated 16-09-2026

[Haryana Govt. Aided, Affiliated to M. D. University, Rohtak and Run & Managed by Jat Education Society (Regd.) Rohtak]

Website: https://jatcollegerohtak.ac.in

Email: aijhmcollegerohtak@gmail.com | Phone no: +91-9992000182

Advertisement for the Post of PRINCIPAL

For Online portal and more details visit college website.

Portal Opening Date: 16.09.2026

Portal Closing Date & Time: 07.10.2026 (till 5:00 PM IST)

Online applications are invited from eligible candidates for appointment to the vacant post of Principal (General) at AIJHM College, Rohtak, on a regular basis against a Grant-in-Aid post sanctioned by the Government of Haryana, in the Pay Matrix at Academic Level 14 (₹1,44,200–₹2,18,200) under the 7th CPC. The eligibility conditions, age relaxation, reservation, qualifications, pay scale, and selection criteria shall be as per the latest applicable norms and guidelines issued by the UGC, M.D. University, Rohtak, the State Government, and the Director General Higher Education, Haryana, Panchkula, with reference to the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Rules, 2006, and the notifications dated 11.11.2022, 12.12.2022, and 18.04.2023.

Eligibility:

The applicant shall possess the following qualifications and experience:

(i) Ph.D. degree.

(ii) Professor/ Associate Professor with a total service/ experience of at least 15 years of teaching/research in Universities, Colleges, and other institutions of higher education.

(iii) A minimum of 10 research publications in peer-reviewed or UGC-listed journals.

(iv) A minimum Research Score of 110 as per Appendix II, Table 2.

Submission of Application:

Applications shall be submitted only through the online application portal, along with a non-refundable application fee of ₹1,000/- for candidates belonging to the General Category and ₹250/- for SC/BC candidates of Haryana. No application shall be entertained if submitted solely through e-mail, post, courier, or by hand. After successful submission of the online application, the hard copy of the complete downloaded PDF application form, along with all supporting documents, must be submitted separately to each of the following three offices and must reach the respective office on or before 5:00 PM IST on 7 October 2026: (I) The Director General, Higher Education, Siksha Sadan, Sector-5, Panchkula, Haryana; (II) The Dean, College Development Council, M. D. University, Rohtak; and (iii) The Office of the President, Governing Body, AIJHM College, Rohtak.

No Objection Certificate (NOC) from the present employer must be attached. Applications found incomplete and/or received after last date will not be considered.

Gulab Singh, President,
Governing Body AIJHM College Rohtak



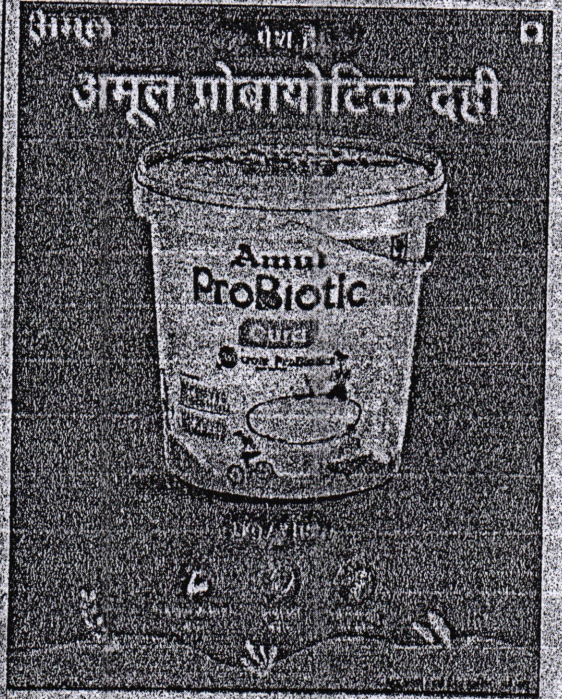

President
Governing Body
India Jat H.M. College,
Rohtak

Page-3
Patrika Bhoshan
(Retd. Editor)

एक्सक्लूसिव हरियाणा में बरी हुए मामलों में करीब 87% में विभाग ने नहीं हटाई सजा

बरी हुए 113 पुलिसकर्मियों में 98 की विभागीय सजा कायम, 137 मामले अदालतों में लंबित

अजय कुमार | अम्बाला

अदालत से किसी पुलिसकर्मी का बरी होना आपराध पर रोक के लिए खतरे की घंटी होता है, लेकिन हरियाणा पुलिस के विभागीय रिकॉर्ड में इन मामलों की कड़ाही नहीं खत्म नहीं होती। अदालत से बरी होने के बाद भी विभागीय रिकॉर्ड में सजा बरकरार रह सकती है। यह विश्लेषण की जिलेवार फाइल टैक्टा का रिकॉर्ड पहले वर्ष का रह है।

अन्वेषणकीन है कि हरियाणा में 113 पुलिसकर्मी ऐसे मामलों में अदालत से बरी हुए, लेकिन इनमें 98 की विभागीय सजा फिर भी कायम रही। चार बरी हुए मामलों में करीब 87 फीसदी में विभाग ने सजा जारी रखी। जबकि 137 आपराधिक मामले अभी अदालतों में लंबित हैं। इससे साफ, 155 मामलों में ऐसे सजा दर्ज है, जिसका असर वेतन वृद्धि या पेंशन पर पड़ता है।

अम्बाला में टैक्टर के अनुसार चले 9 मामले ऐसे हैं, जिनमें पुलिसकर्मी अदालत से बरी हुए, लेकिन सभी 9 में विभागीय सजा कायम रही। जिले में इसके अलावा 6 विभागीय जांच अभी लंबित हैं। अम्बाला अकेला जिला नहीं है, सोनीपत में भी 17 पुलिसकर्मी अदालत से बरी हुए और सभी 17 की विभागीय सजा कायम बताई गई है। फरीदाबाद में 10 में से सभी 10 बरी मामलों में सजा कायम रही। गुरुग्राम में 22 बरी मामलों में 15 में विभागीय सजा कायम रही।

गुरुग्राम में 22 बरी, 15 की विभागीय सजा कायम

जिला	कुल बरी मामले	विभागीय सजा कायम	विभागीय जांच लंबित	अदालती मामला लंबित	वेतन/पेंशन पर असर वाली सजा
अम्बाला	9	9	6	-	9
गुरुग्राम	22	15	22	10	19
फरीदाबाद	10	10	6	20	19
सोनीपत	17	17	10	9	-
हिसार	8	8	3	7	15
करनाल	8	7	9	1	16
कुरुक्षेत्र	7	6	3	19	10
कैथल	4	4	5	15	12
भिवानी	5	5	-	-	-
पंचकूला	5	4	-	-	-
झज्जर	4	3	-	-	-
सिरसा	3	2	-	-	-
रोहतक	2	1	-	-	-
महेन्द्रगढ़	2	1	-	-	10
रेवाड़ी	1	0	-	-	-
जींद	0	0	2	3	-
फतेहाबाद	0	0	1	3	-
पंचकूला (शहरी)	0	0	2	2	-

केस स्टडी-1 : 5 की जगह 2 इंक्रीमेंट रोकी

22 दिसम्बर 1993 को हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल व कांट्रोलर पर ड्यूटी टैक्सी ऑपरेटरों बनकर खान रोकने, चालक से 1,500 रुपए छीनने का आरोप लगा। अम्बाला सिटी थाने में केस दर्ज हुआ। 23 मई 1996 को सेशंस न्यायाधीश के गुनाहने पर दोनों को सजा कर दिया। विभागीय जांच में भी आरोप साबित नहीं हुए। फिर भी 30 मई 1997 को 5 वार्षिक वेतनवृद्धियां स्थायी प्रभाव से रोक दी गईं। अक्टूबर-दिसंबर खारिज होने के बाद हाई कोर्ट पहुंचे। 14 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट ने सजा अनुचाहीन पाती हुए 5 की जगह दो इंक्रीमेंट रोकने का आदेश दिया।

केस स्टडी-2 : पैंतान में 15% कटौती

एक एसआई पर 7 जुलाई 2013 को सेंट्रे मिलिट्रेस थाने, फुलाना में प्रदाहा निवास अधीनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई। जांच में 25 फरवरी 2014 को आरोप साबित पाये गए। 14 अक्टूबर 2014 को संशेशन जज, पानीपत ने उसे बरी कर दिया। इसके बाद गुरुग्राम निपान ने 7 जनवरी 2015 को वेतन में 15% कटौती की। डीजीपी ने 9 जुलाई 2015 को अपील खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने 31 मई 2017 को कहा कि विभागीय जांच में आपराधिक मुकदमे जैसी कठोर साक्ष्य-मानक जरूरी नहीं है।

पुलिसकर्मियों से जुड़े मामले दो प्रक्रियाओं में चल रहे हैं

अम्बाला से 96 विभागीय जांच अभी लंबित हैं, जबकि 137 आपराधिक मामले अदालतों में लंबित बताए गए हैं। असल सवाल है कि बरी होना से पुलिसकर्मियों से जुड़े मामले अभी भी 2 अलग-अलग प्रक्रियाओं में चल रहे हैं। टैक्टर में 155 ऐसे मामले दर्ज हैं जिनमें दोनों विभागीय सजा का रिपोर्ट है, जिसका असर वेतन वृद्धि या पेंशन पर पड़ सकता है। टैक्टर में अक्टोन के बाद चालनी के केवल 5 मामले दर्ज हैं। इनमें गुरुग्राम का 1, फरीदाबाद का 1, फतेहाबाद का 1 और नारनौल के 2 मामले शामिल हैं।

एक्सपर्ट

हुतेश कौशिक, पूर्व डीजी, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला

अदालत से बरी होना व जांच में निर्दोष होना दो अलग बातें

आपराधिक अदालत से बरी होना और विभागीय जांच में निर्दोष साबित होना दो अलग बातें हैं। आपराधिक मुकदमे में आरोप सिद्ध करने का मानक अधिक कड़ा होता है, जबकि विभागीय जांच में कर्मचारी के सेवा नियमों और कर्तव्य उल्लंघन को देखा जाता है। इसलिए अदालत से बरी होने के आधार पर विभागीय सजा स्वतः खत्म नहीं होती। पीटे अदालत में पुलिसकर्मी को आरोपों से पूरी तरह बरी किया है तो निपान को सजा बरकरार रखने के लिए स्पष्ट और ठोस कारण दर्ज करने चाहिए। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि विभागीय जांच में कौन-सा अलग तथ्य या नियम उल्लंघन सामने आया था।

बंदी सिखों की रिहाई को अब 11 सिख हर दिन उठाएंगे मीरी-पीरी से आवाज

एपएसजीएमसी का फैसला- जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे

मख्खन मुख | कुरुक्षेत्र



कुरुक्षेत्र। मीरी-पीरी चौक पर धरना देते संगत।

सजा पूरी होने के बाद भी जेलों में बंद सिखों की रिहाई की मांग को लेकर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीएमसी) ने आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। कमेटी सिखरी चार दिन से मीरी-पीरी चौक पर धरना दे रही है। अब रोजाना धरना में कम से कम 11 सिख चौक पर धरने पर बैठेंगे। उनके साथ कमेटी का एक निर्धारित सदस्य भी मौजूद होगा। जरूरत पड़ने पर जेल भरो आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

मंगलवार को भी सिख संगत ने धरना टैक्टर 'बंदी सिखों को रिहा करो, सम्मान और स्वाभिमान की पहचान करो' के नारे लगाए। 11 सिखों को क्रमवार जत्थेदार सिंह साहब ने धरने का आदेश किया था। इन्होंने कहा कि सजा पूरी कर चुके कई सिखों की रिहाई लंबे समे मुद्दत बीत है, लेकिन सरकार इस मामले में गंभीर नहीं कर रही। इन्होंने सरकार से जल्द रिहाई की मांग की।

योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्टिंग करें सीएमजीओए : मुख्यमंत्री

सीएम | सीएम नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री गुणवत्ता सलाहकारों (सीएमजीक्यू) की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की निगरानी मिशनवार्ड और फ्रन्टलाइन रिपोर्ट मूल्यांकनों कार्यालय को देने के निर्देश दिए। संगम ने सीएम अवलोकनमेंट की स्वतंत्र फीलवेजकर्मियों की जमीनी रिपोर्ट विस्तृत रिपोर्ट मांगे। जिसमें हरियाणा योजना और रूपांतरण विभागों की जांच का वास्तविक स्थिति बताने को कहा। साथ ही खेल स्टेडियमों व खेलप्रशिक्षकों की नियुक्ति देने के साथ-साथ अन्य कई निर्देश दिए।

18 अक्टूबर को होगा नामदेव जी का प्रकाश दिवस समारोह

सीएम | संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के 756वें प्रकाश दिवस पर 18 अक्टूबर को सेक्टर-21 स्थित संत नामदेव भवन में भव्य समारोह होगा। सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। जनसम्पर्क अधिकारियों एवं संसदीयकार्य मंत्री राजेश नागर और उपायुक्त अमन प्रकाश कांडे के नेतृत्व में जिला विशिष्ट अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें सभी विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में उपायुक्त अमन प्रकाश कांडे ने बताया कि पंजाब समेत विभिन्न क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु पहुंचेंगे। समागम में गुरु नामदेव जी की शिक्षाओं, चमत्कारों व संदेशों पर आधारित प्रदर्शनी लगेगी। गुरु घर और संगत प्रसाद का व्यवस्थाएं भी रहेंगी।

पलवल के मामले में कोर्ट की टिप्पणी: कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग की कोशिश

8 बच्चों के माता-पिता की सुरक्षा याचिका खारिज, कोर्ट बोला- ठोस खतरे का आधार नहीं

मख्खन मुख | चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 8 बच्चों के माता-पिता (एक सिंगलटन पालक और एक सिंगलटन पुरुष) द्वारा दायर सुरक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। दोनों पहले से अलग-अलग व्यक्तियों से शादीशुदा हैं और अपने-अपने परिवारों की इच्छा के विरुद्ध साथ रह रहे हैं। इनमें से अपने पहले साथियों के साथ तनाव नहीं होना था। पलवल निवासी याचिकाकर्ताओं ने अपने परिजनों से जान-माल का खतरा बताते हुए पथ रहने और पुलिस सुरक्षा दिए जाने की गुहार लगाई थी। मंडिका के 8 बच्चों में, जबकि पुरुष के 2 बच्चे हैं।

सामाजिक ताने बाने पर असर: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल स्वच्छन्द और असपष्ट आरोपों के आधार पर पुलिस सुरक्षा का आदेश नहीं दिया जा सकता। ऐसे मामलों में सुरक्षा देने में पूरे सामाजिक ताने बाने पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इन तर्कों को प्रभावित नहीं करता। अदालत ने पाया कि याचिका केवल कानूनी प्रक्रिया की आड़ में अपने संबंधों को बदलने का एक प्रयास प्रतीत होती है, जो कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि शिकायत मिलने के बाद संबंधित पक्षकारों और प्रभावितों के बयान दर्ज किए गए थे, लेकिन किसी भी खतरनाक या प्रत्यक्ष खतरे की पुष्टि नहीं हुई है।

1 अक्टूबर से खन खरीद की तैयारी तेज

मंडियों में गेट पास से भुगतान तक प्रक्रिया होगी पारदर्शी

सीएम | हरियाणा में एक अक्टूबर से शुरू होने वाली धान की सरकारी खरीद को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में शुक्रवार राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को मंडियों में किसानों के लिए पर्याप्त एवं सुचारु व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में कृषि विपणन, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि गेट पास जारी होने से लेकर तुलाई और फिसली के बाद सीधे बैंक खाते में भुगतान तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होनी चाहिए। धान की खरीद 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर पंजीकृत और सत्यापित आंकड़ों के आधार पर होगी। किसानों का रजिस्ट्रेशन से लेकर गेट पास जारी किए जाने तक, एक संदेश के लिए पूरा पारदर्शी और अंतिम भंडारण और प्रबंधित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

एनसीआर में लगेंगे 775 एएनपीआर कैमरे, 30 तक पूरा होगा पहला चरण

गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 249 कैमरे, खर्च होंगे 41.74 करोड़ रुपए

मख्खन मुख | चंडीगढ़

एनसीआर में अधूरम फैलाने वाले जीरा-अवैध पूरी कर चुके वाहनों (ईएलवी) की पहचान के लिए हरियाणा सरकार पंजाब पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाने जा रही है। पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में कुल 775 कैमरे लगाए जाएंगे। इन फिक्सेजन पर करीब 41 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि एएनपीआर कैमरों के जरिए पेट्रोल पंपों पर पहुंचने वाले वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान की जाएगी। इससे जीरा-अवैध पूरी कर चुके वाहनों को चिह्नित करने और पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। जिलेवार गुरुग्राम में सबसे अधिक 249 कैमरे लगाए जाएंगे। इसके बाद फरीदाबाद में 215, झज्जर में 195 और फतेहाबाद में 116 कैमरे स्थापित होंगे। प्रदेश में कुल करीब 2,780 एएनपीआर कैमरों की आवश्यकता है। प्रथम चरण में एनसीआर के हर चार जिलों को शामिल किया गया है।

59 लाभार्थियों को 1.76 करोड़ की वित्तीय मदद

सीएम | हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष में अगस्त 2026 तक 59 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 176.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी है। इनमें 134.75 लाख रुपए की सब्सिडी शामिल है। निगम का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को छोटा एवं मिनीमम व्यवसाय उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए सहायता करना है।

आयुष्यमान सेवाएं रोकने का फैसला वापस लिया

सीएम | प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों के भुगतान में देरी और अन्य दिक्कतों को लेकर आईएमए ने 16 सितंबर से आयुष्मान योजना अंतर्गत काम न करने का निर्णय लिया था। अब आईएमए ने इसे वापस ले लिया है।

पंजाब-हरियाणा को तंबाकू नियंत्रण कानून के पालन पर 6 सप्ताह की मोहलत

सरकार ने कहा- शिकायत पर विचार कर पारित करेंगे आदेश

मख्खन मुख | चंडीगढ़

तंबाकू उत्पादों की बिक्री, प्रचार और उपभोग को नियंत्रित करने वाले कानूनों के प्रभावी पालन को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों को इस संबंध में ठोस निर्णय लेने के लिए इस सप्ताह का समय दिया है।

चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार शर्मा और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ के समक्ष इस संबंध में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों राज्यों की ओर से आवश्यकता दिए गए कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई शिकायत और रिपोर्टपेज पर पूरी गंभीरता से विचार किया जाएगा और उस समयसीमा के भीतर उचित आदेश पारित किए जाएंगे। कोर्ट ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते याचिका का निपटारा कर दिया।

यह है मामला: याचिकाकर्ता दीपेंद्र सिंह ने अधिवक्ता चरिमा दत्ता कल आयोग समक्ष यह कि डिस्टेट और अन्य संबंधित प्राधिकारी को निर्धारित करने वाले साल 2003 के कानून का पंजाब और हरियाणा में प्रभावी रूप से पालन नहीं हो रहा है। 22 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को दोनों राज्यों के संबंध अधिकारियों के समक्ष प्रतिवेदन देने की छूट दी थी। कोर्ट ने 60 दिन के भीतर इस पर निर्णय लेने और इसकी सूची दोनों राज्यों को सूचित करने के निर्देश दिए थे। इधर, दोनों राज्यों की ओर से आश्वासन दिया गया कि निर्धारित पर निर्णय कर लिया आदेश पारित किए जाएंगे।

हज्ज के लिए हर कार्यकर्ता परिवार का सदस्य : भारद्वाज

मख्खन मुख | चंडीगढ़

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार भारद्वाज ने कहा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने परिवार का सदस्य माना है। उन्होंने यह बात हुड्डा के 79वें जन्मदिवस पर जुटे हिसार सिमत उनके आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही।

भारद्वाज ने कहा कि सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह केक इस बात का प्रतीक है कि कार्यकर्ताओं का सुख-दुख हुड्डा का व्यक्तिगत मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का पहुंचना हुड्डा के साथ उनके आत्मीय संबंधों को दर्शाता है। इसी तरह और उदारता के चलते प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कार्यकर्ता उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। इस मौके पर सेक्टर संख्यालय के सामने दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत पीसीसी मीडिया पैनल कुलदीप भारद्वाज, मोहन लखन वैरवी, एडवोकेट हरिओम सिंह डाबला, सेक्टर के कांग्रेस पदाधिकारियों के अलावा अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता और सिंह कटारा, कलवड़ से मनोज अग्रवाल एवं भोपनीय, नरेश दीवी, पंडित मुरलीधर शर्मा, रवींद्र चाम्बल, सतेंदर सरन, सुनील सिंह, रवींद्र चाम्बल आदि मौजूद रहे।

All India Jat Heroes' Memorial (AIJHM) College Rohtak

JE8/26/Advert/9580 dated 16-09-2026

[Haryana Govt. Aided, Affiliated to M. D. University, Rohtak and Run & Managed by Jat Education Society (Regd.) Rohtak]

Website: https://jatcollegerohtak.ac.in

Email: aijhmcollegerohtak@gmail.com | Phone no: +91-9992000182

Advertisement for the Post of PRINCIPAL

For Online portal and more details visit college website

Portal Opening Date: 16.09.2026

Portal Closing Date & Time: 07.10.2026 (till 5:00 PM IST)

Online applications are invited from eligible candidates for appointment to the vacant post of Principal (General) at AIJHM College, Rohtak, on a regular basis against a Grant-in-Aid post sanctioned by the Government of Haryana, in the Pay Matrix at Academic Level 14 (₹1,44,200–₹2,18,200) under the 7thCPC. The eligibility conditions, age relaxation, reservation, qualifications, pay scale, and selection criteria shall be as per the latest applicable norms and guidelines issued by the UGC, M.D. University, Rohtak, the State Government, and the Director General Higher Education, Haryana, Panchkula, with reference to the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Rules, 2006, and the notifications dated 11.11.2022, 12.12.2022, and 18.04.2023.

Eligibility:
The applicant shall possess the following qualifications and experience:
(i) Ph.D. degree
(ii) Professor/ Associate Professor with a total service/ experience of at least 15 years of teaching/research in Universities, Colleges, and other institutions of higher education
(iii) A minimum of 10 research publications in peer-reviewed or UGC-listed journals
(iv) A minimum Research Score of 110 as per Appendix II, Table 2

Submission of Application:
Applications shall be submitted only through the online application portal, along with a non-refundable application fee of ₹1,000/- for candidates belonging to the General Category and ₹250/- for SC/BC candidates of Haryana. No application shall be entertained if submitted solely through e-mail, post, courier, or by hand. After successful submission of the online application, the hard copy of the complete downloaded PDF application form, along with all supporting documents, must be submitted separately to each of the following three offices and must reach the respective office on or before 5:00 PM IST on 7 October 2026: (i) The Director General, Higher Education, Siksha Sadan, Sector-5, Panchkula, Haryana; (ii) The Dean, College Development Council, M. D. University, Rohtak; and (iii) The Office of the President, Governing Body, AIJHM College, Rohtak.

No Objection Certificate (NOC) from the present employer must be attached. Applications found incomplete and/or received after last date will not be considered.

Gulab Singh, President
Governing Body AIJHM College Rohtak

दैनिक भास्कर
दिमाग लगाओ
इनाम पाओ

क्विज 13 (14 सितंबर) के 250 विजेताओं के नाम देखने के लिए QR स्कैन करें।

प्रेशर कुकर (मॉडल)

अमूल
पेश है
अमूल प्रोबायोटिक दही

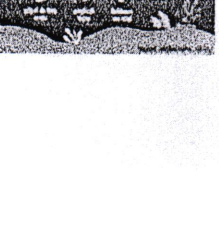

भास्कर खास 2.20 लाख परिवारों के लिए दो-दो दीये; 85% तक बांटे, बाकी आज देंगे

'आशीर्वाद का दीया' में यमुनानगर को 4.40 लाख दीये

मख्खन मुख | यमुनानगर

प्रदेश में 'आशीर्वाद का दीया' अभियान के लिए जारी टिलेबार आंकड़ों में यमुनानगर की स्थिति कई जिलों से अपने नजर आ रही है। खास एवं आपूर्ति विभाग के अनुसार जिले के 2.20 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए 4.40 लाख दीये आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 80 से 85 प्रतिशत दीए जा चुके हैं, जबकि पूरकता शाम तक दे दिए जाएंगे। प्रदेश के 22 जिलों के आंकड़ों को तुलना करने पर जिले से अधिक आवंटन केवल पांच जिलों को मिला है, जबकि 16 जिलों में इससे कम दीये निर्धारित किए गए हैं।

प्रदेश की स्थिति प्रदेश में कुल 39.76 लाख राशनकार्ड धारक परिवारों के लिए 79.52 लाख दीये आवंटित किए गए हैं। यानी प्रत्येक परिवार के लिए दो-दो दीये निर्धारित हैं। एएफएसओ राज कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देशों के अनुसार जिले को आवंटित दीयों की व्यवस्था की जा रही है। पात्र राशन कार्ड धारक परिवारों तक निर्धारित संख्या में दीये पहुंचाने की प्रक्रिया तेजी से पूरी कराई जाएगी। यमुनानगर के स्थान कई धारक परिवार प्रदेश के कुल राशन कार्ड परिवारों का करीब 5.5 प्रतिशत हैं। इसी अनुपात में जिले को राज्य के कुल 79.52 लाख दीयों में करीब 4.40 लाख दीये मिले हैं।

हिसार सबसे आगे, यमुनानगर छठे स्थान पर

- यमुनानगर के चार अन्य पड़ोसी जिलों में सोनीपत को 4,15,096, फरीदाबाद को 4,07,168, पिंजौर को 3,98,670 और पानीपत को 3,97,664 दीये आवंटित किए गए हैं। इनके बाद यह जिले का आवंटन तीन लाख से नीचे चला जाता है। सबसे कम आवंटन पंचकूला का है, जहां 66,727 राशन कार्ड परिवारों के लिए 1,33,454 दीये निर्धारित किए गए हैं। पानी धारणी में 1,51,362 और गुरुग्राम में 2,33,352 दीये आवंटित किए गए हैं। इस पूरक्ता से यमुनानगर का आवंटन प्रदेश के निचले पायदान वाले जिलों में शामिल क्रम दिखाई देता है। जिलेवार पूरक्ता में हिसार सबसे ऊपर है। वहां 5,76,608 दीये आवंटित हुए हैं। करनाल को 5,07,676, फरीदाबाद को 5,03,270, जींद को 4,47,660 और सिरसा को 4,44,852 दीये मिले हैं।

यहां-किसान हुआ आवंटित

जिला	राशनकार्ड	आवंटित
हिसार	2,88,304	5,76,608
करनाल	2,53,838	5,07,676
फरीदाबाद	2,51,635	5,03,270
जींद	2,23,380	4,47,660
सिरसा	2,22,426	4,44,852
यमुनानगर	2,20,061	4,40,122
सोनीपत	2,07,548	4,15,096
फरीदाबाद	2,03,584	4,07,168
पिंजौर	1,99,335	3,98,670
पानीपत	1,98,832	3,97,664
कुल	39,76,723	79,53,546

दसे में एक युवक की मौत हो
ंकि चार अन्य घा हुए हैं।
की पहचान विशाल निवासी
एयरपोर्ट रोड बहलाना चंडीगढ़
पर हुई है। वहीं घायलों में
, राहुल, प्रगट और गौरव

मौके पर पहुंची और देर रात बचाव अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि युवकों ने कहीं शराब का सेवन तो नहीं किया था।

ो.ऽ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा (रजि.), रोहतक

आवश्यक सूचना

सभी नये आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आजीवन सदस्यता हेतु जमा कराया गया 100/- के पैक/डीडी में से जिनके पैक/डीडी बैंक द्वारा किसी कारणवश अस्वीकृत/वापिस कर दिए गए हैं। वे दिनांक 16.10.2026 तक 1,100/- का नया पैक/डीडी सभा कार्यालय में जमा करवाएं। अन्यथा उनका सदस्यता आवेदन मान्य नहीं होगा। संबंधित आवेदकों की सूची सभा कार्यालय एवं आधिकारिक वेबसाइट (www.gbvps.org) पर उपलब्ध है। साथ ही, सभा की पुरानी आजीवन सदस्यता सूची का शुद्धिकरण एवं आवश्यक सुधार किया जा रहा है। नाम/पते में किसी प्रकार की त्रुटि/परिवर्तन अथवा किसी सदस्य के निधन की स्थिति में संबंधित प्रमाण-पत्र/मृत्यु प्रमाण-पत्र सभा कार्यालय में जमा कराएं, ताकि मतदाता सूची को शुद्धिकृत एवं अंतिम रूप दिया जा सके और आगामी होलाष्टक प्रक्रिया पूरी की जा सके।

प्रशासक / पटेल सचिव
ो.ऽ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा (रजि.), रोहतक
सभा कार्यालय, रोहतक

दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

मुरथल, सोनीपत-131039 हरियाणा (भारत)

ऊर्जा और पर्यावरण अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र

विज्ञापन संख्या 17/2026

एआईसीटीई-आरपीएस 2025: लेब टू मार्केट परियोजना के तहत परियोजना सहयोगी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका शीर्षक है "ग्राफिक कार्बन नाइट्राइड आधारित नैनोमैटेरियल्स के स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरणीय अनुप्रयोग सतत विकास की दिशा में", विशुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर। आवेदन अधोहस्ताक्षरी के पास 21 सितंबर 2026 तक पहुंच जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://www.dcrustm.ac.in पर जाएं।

डॉ. एस. पी. नेहरा
प्रधान अन्वेषक

PRDH-1240/11/83/2027/49294/C/67/6

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, (हिसार)

अभियोग संख्या 129 तिथि 02.06.2026 धारा 127(6) थाना उकलाना हिसार।

पत्र क्रमांक क्र. -2713-5A तिथि 13.09.2026 थाना उकलाना जिला हिसार।

नाम: सुष्मा पत्नी राजेश कुमार
पता: गांव सुरपुरा जिला हिसार
गुमशुदा की पहचान: रंग गोरा, गोल चेहरा, हृष्ट पुष्ट शरीर, गुलाबी रंग की सलवार सूट पहने हुए, कद करीब 4 फुट 7 इंच, उम्र 45 वर्ष



यदि किसी सज्जन को इनके बारे में पता चले तो कृपया निम्न फोन नंबर पर सूचित करें:

प्रबंधक थाना
थाना उकलाना जिला हिसार 8814011313
पुलिस कंट्रोल हिसार: 01662-237150
अनुसंधानकर्ता-7988123845

PRDH-1084/11/333/2027/49271/67/6

(घ) असदउल्लाह

3. मुरथल ओपन फिजिकलशिप जीतने पर उपेरेश को कितने युपल्ब इनाम मिले?

(क) 52 लाख (ख) 54 लाख (ग) 62 लाख (घ) 55 लाख



All India Jat Heroes' Memorial (AIJHM) College Rohtak

JES/26/Advert/590 dated 16-09-2026

[Haryana Govt. Aided, Affiliated to M. D. University, Rohtak and Run & Managed by Jat Education Society (Regd.) Rohtak]

Website: https://jatcollegerohtak.ac.in

Email: aijhmcollegerohtak@gmail.com | Phone no: +91-9992000182

Advertisement for the Post of PRINCIPAL

For Online portal and more details visit college website.

Portal Opening Date: 16.09.2026

Portal Closing Date & Time: 07.10.2026 (till 5:00 PM IST)

Online applications are invited from eligible candidates for appointment to the vacant post of Principal (General) at AIJHM College, Rohtak, on a regular basis against a Grant-in-Aid post sanctioned by the Government of Haryana, in the Pay Matrix at Academic Level 14 (₹1,44,200–₹2,18,200) under the 7thCPC. The eligibility conditions, age relaxation, reservation, qualifications, pay scale, and selection criteria shall be as per the latest applicable norms and guidelines issued by the UGC, M.D. University, Rohtak, the State Government, and the Director General Higher Education, Haryana, Panchkula, with reference to the Haryana Affiliated Colleges' (Security of Service) Rules, 2006, and the notifications dated 11.11.2022, 12.12.2022, and 18.04.2023.

Eligibility:

The applicant shall possess the following qualifications and experience:

(i) Ph.D. degree.

(ii) Professor/ Associate Professor with a total service/ experience of at least 15 years of teaching/research in Universities, Colleges, and other institutions of higher education.

(iii) A minimum of 10 research publications in peer-reviewed or UGC-listed journals.

(iv) A minimum Research Score of 110 as per Appendix II, Table 2

Submission of Application:

Applications shall be submitted only through the online application portal, along with a non-refundable application fee of ₹1,000/- for candidates belonging to the General Category and ₹250/- for SC/BC candidates of Haryana. No application shall be entertained if submitted solely through e-mail, post, courier, or by hand. After successful submission of the online application, the hard copy of the complete downloaded PDF application form, along with all supporting documents, must be submitted separately to each of the following three offices and must reach the respective office on or before 5:00 PM IST on 7 October 2026: **(i) The Director General, Higher Education, Siksha Sadan, Sector-5, Panchkula, Haryana; (ii) The Dean, College Development Council, M. D. University, Rohtak; and (iii) The Office of the President, Governing Body, AIJHM College, Rohtak.**

No Objection Certificate (NOC) from the present employer must be attached. Applications found incomplete and/or received after last date will not be considered.

Gulab Singh, President,
Governing Body AIJHM College Rohtak

President
Governing Body
All India Jat H M College

Page-2

एक नजर में

100 बेड पर संचालित 103 प्राथमिक विद्यालय होंगे बंद

कलेक्ट : 103 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की तैयारी है। राज्य-राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित 100 बेड से कम छात्र संख्या वाले 16 विद्यालय को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके तहत 77 कनवर्जन मध्य प्राथमिक विद्यालय और 26 प्राथमिक विद्यालय बंद होंगे। इन विद्यालयों में 1,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन विद्यालयों में कार्यरत 103 शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा।

संवाहक निधि का अनुपालन करने को एक सप्ताह का समय

कल्याण पुरी, जागरण • कैथल : राज्य उपकरण की खिड़ी, एक्सल और ऑपरेटर की नियुक्ति करने वाले कम्पनी के प्रबंधकों को संवाहक निधि का अनुपालन करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। सहायक श्रम आयुक्त डॉ. सुनील कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उपस्थित सभी प्रबंधकों को निर्देश दिए गए कि वे संवाहक निधि के नियमों का पालन करें। इसके लिए उन्हें एक सप्ताह का समय दिया गया है।

संवित निधि से 7136 करोड़ रुपये के भुगतान पर मुहर

कल्याण पुरी, जागरण • कैथल : वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हरियाणा सरकार ने विभिन संस्थाओं को 7136.61 करोड़ रुपये के भुगतान और रिलीज़ के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मिनी-सचिवालय में आयोजित राज्य पारिवारिक रिलीज़ेशन कमेटी (सदस्य-2) रिपोर्ट-2026 की बैठक की। अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) डॉ. सुमिता मिश्रा, सचिव (वित्त) डॉ. रवि शंकर, डीसी नितिका गहलोत, एसपी वरुण दहिया और विभिन विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद थे। बैठक में 27 विभागों के लिए प्रस्तावित 30 नई रिपोर्ट पर विचार किया गया। इनमें से 21 विभागों के लिए 7136.61 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई। इसमें 2,397 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई। इसमें 2,397 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई। इसमें 2,397 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई।

बिकने के इंतजार में बेमोल पड़ा बाजरा

3 लाख हेक्टेयर में हुआ था बाजरे का रकबा | 4.48 लाख हेक्टेयर में बिकने की उम्मीद

- फ्री कराया मेरा खेत पर पीड़ित किसानों की चिंता
- 2900 रुपये एमएसपी
- जुलाई में खरीद का दम भरने वाले के बावजूद पीड़ित तक नहीं पहुंचा कुछ, सैकड़ों पंजीकृत किसान अभी भी कर रहे इंतजार



पानी में डूबी बाजरे की फसल को दिखाते किसान

जुलाई में आई थी, फिर भी नहीं पहुंचा कुछ

हरियाणा में 2023-24 में लगभग 3.5% 022 टन बाजरा पैदावार का उत्पादन हुआ था। जबकि 2024-25 में उत्पादन बढ़कर 3.48 लाख टन हो गया। 40 हजार से ज्यादा किसानों ने बाजरा बेचने के लिए पंजीकरण कराया था।

जहां बिकने लगा कितनी खरीद हुई

हरियाणा में 2023-24 में लगभग 3.5% 022 टन बाजरा पैदावार का उत्पादन हुआ था। जबकि 2024-25 में उत्पादन बढ़कर 3.48 लाख टन हो गया। 40 हजार से ज्यादा किसानों ने बाजरा बेचने के लिए पंजीकरण कराया था।

कम खरीश से रखना पहले ही घटा

हरियाणा में 2023-24 में लगभग 3.5% 022 टन बाजरा पैदावार का उत्पादन हुआ था। जबकि 2024-25 में उत्पादन बढ़कर 3.48 लाख टन हो गया। 40 हजार से ज्यादा किसानों ने बाजरा बेचने के लिए पंजीकरण कराया था।

मंडियों में जियोफेंसिंग से सत्यापन के बाद ही जारी होंगे गेट पास

- हरियाणा में एक अक्टूबर से शुरू होगी खरीद की सरकारी खरीद
- खेतों पर दर्ज करवाए गए खेत खिलान के बाद होगी खरीद

राजेश पुरी, जागरण • कैथल : मंडियों को अवैध बोलियों से बचाने और किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के लिए हरियाणा सरकार ने इस बार बड़ा कदम उठाया है। अब मंडियों में फसल बेचने पहुंचे हर किसान को पहले जियोफेंसिंग सिस्टम के जरिए सत्यापन कराना होगा। इसके बाद ही उसे गेट पास जारी किया जाएगा। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली खरीद सीजन से लागू होगी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयवीर सिंह राणा ने यह फैसला की बैठकों की मौजूदगी में लिया। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में मंडियों में फर्जी तरीके से बोलियां लगाने और बिचौलियों द्वारा किसानों के नाम पर अपनी फसल बेचने की शिकायतें सामने आई थीं। इसी को रोकने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है।

मंत्री ने कहा कि किसान कल्याण योजना (भावांतर भुगतान योजना) के तहत भी केवल उन्हीं किसानों को भावांतर का लाभ मिलेगा, जिनकी फसल का सत्यापन मंडी में किया गया होगा। इससे योजना का लाभ सही जरूरतमंद किसानों तक पहुंचेगा और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी।

अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण पर प्रदेश सरकार ने बढ़ाया कदम

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने रिपोर्ट तैयार करने को कहा

राज कुमार जागरण • रोहतक : संस्कृत स्कूलों में करीब 20 वर्षों से रोजाना दे रहे करीब 12 अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की फाइल को गति देने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. राजेश खुल्लर ने संस्कृत शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें संस्कृत शिक्षा निदेशालय की ओर से अतिथि शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।

बैठक में संस्कृत शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 15 जिलों में संस्कृत स्कूल हैं। इनमें से 12 में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। ये शिक्षक वर्षों से बिना नियमित पदों के पढ़ा रहे हैं। इनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए पहले भी कई बार प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका है।

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने निर्देश दिए कि सभी अतिथि शिक्षकों की सेवा अवधि, योग्यता, वेतन और कार्यभार से जुड़ी पूरी जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराई जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि नियमितीकरण के लिए किन मानकों को पूरा करना होगा और इसमें कितना समय लग सकता है।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अब जिलेवार होगी जवाबदेही



मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गत दिनों में मुख्यमंत्री खट्टरकाँलों को फोन किए थे। उनके साथ हैं उप प्रधान सचिव सरोजा जांगड़ा • अमर उजाला

राज कुमार जागरण • रोहतक : किसी विभाग के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के घोषणाओं और विभाग परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए अब हर जिले में एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। यह अधिकारी संबंधित जिले में घोषणाओं की प्रगति पर नजर रखेगा और उसकी नियमित रिपोर्ट मुख्यालय को भेजेगा। इसका उद्देश्य घोषणाओं को समय पर जमीन पर उतारना और उनके प्रभाव का आकलन करना है।

सरकार के मुख्यालय स्तर पर यह फैसला हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के ओएसडी (समन्वय) डॉ. सुरेंद्र सिंह भोरिया, सचिव (वित्त) डॉ. रवि शंकर, सचिव (योजना) डॉ. सुमिता मिश्रा, सचिव (सामान्य प्रशासन) डॉ. अमित अग्रवाल, सचिव (कृषि) डॉ. सुशील सारवान, सचिव (उद्योग) डॉ. राजीव अरोड़ा, सचिव (स्वास्थ्य) डॉ. अमित अग्रवाल, सचिव (शिक्षा

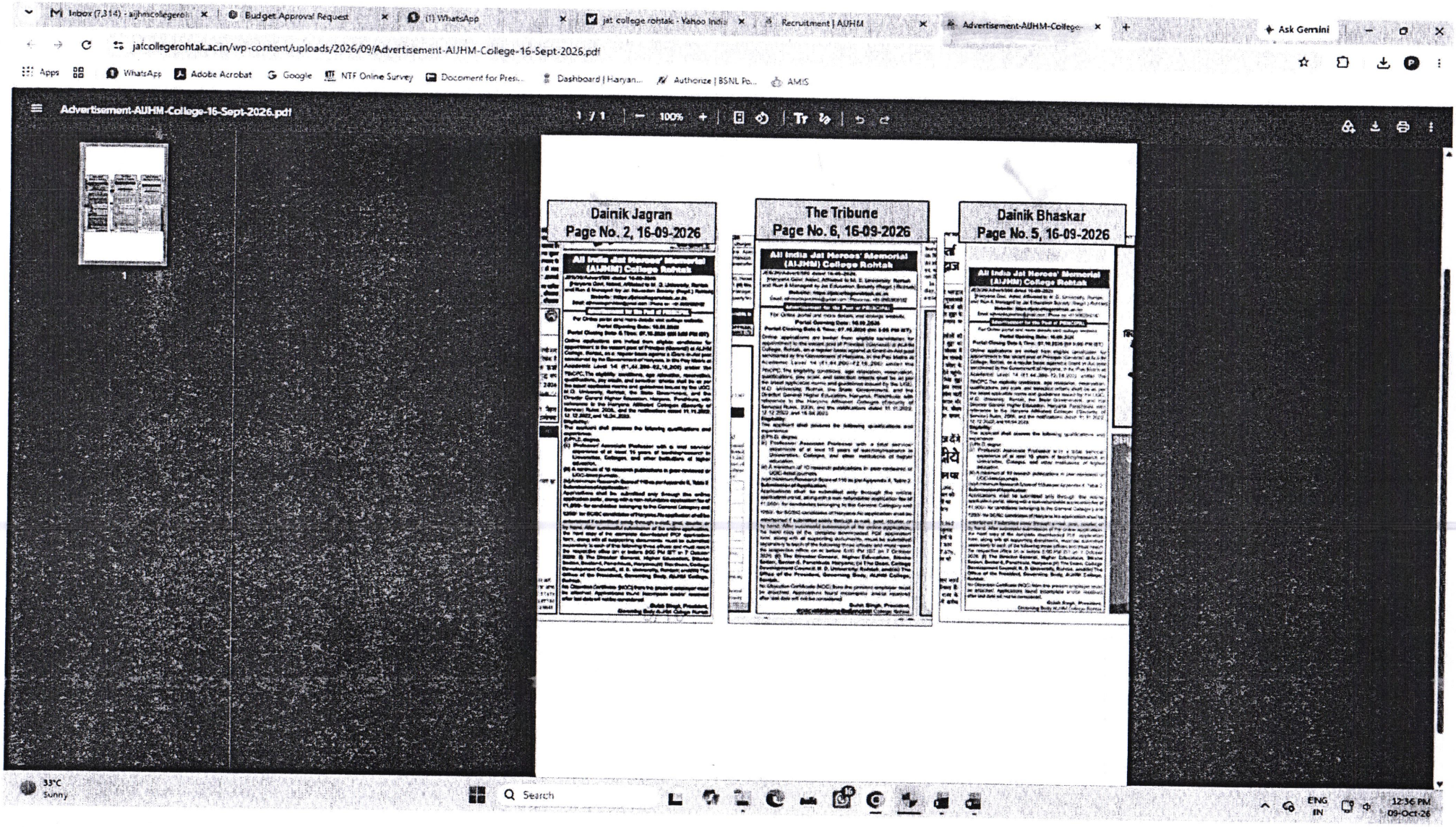

President
Governing Body
All India Jat H.M. College,
Rohtak